Paper-I

General Knowledge and General Studies

Unit- III

Part - A

Sociology

समाजशास्त्र

समाजशास्त्र

पाठ्यक्रम

भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास–

- भारतीय समाज में जाति और वर्ग : प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियां
- परिवर्तन की प्रक्रियाएं : संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमण्डलीकरण
- भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां : दहेज़, तलाक एवं बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, निर्धनता, ब`रोज़गारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमज़ोर तबक` विषेषकर दलित, वृद्ध और द्विव्यांग।
- राजस्थान में जनजातीय समुदाय : भील, मीणा, गरासिया– समस्याएं व कल्याण ।

Index

1. बाल विवाह
2. दहेज प्रथा
3. तलाक
4. अनुसूचित जाति के मुद्दे (दलित)
5. बुजुर्ग
6. मादक पदार्थों की लत
7. दिव्यांग
8. राजस्थान में जनजातीय समाज (भील, मीणा, गरासिया आदि)
9. पश्चिमीकरण
10. संस्कृतिकरण
11. समाजशास्त्रीय विचारों का विकास
12. जाति व्यवस्था
13. वर्ग व्यवस्था
14. भ्रष्टाचार
15. भूमण्डलीकरण/वैश्वीकरण
16. पंथनिरपेक्षता
17. निर्धनता
18. बेरोजगारी
19. साम्प्रदायिकता

1. बाल विवाह

परिभाषा – बाल विवाह एक ऐसा औपचारिक या अनौपचारिक विवाह बन्धन है, जिसे कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से पहले सम्पन्न करता है।

- बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006 के अनुसार पुरूषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।
- प्राचीनकाल से विवाह अनिवार्य माना गया क्योंकि विवाह के उपरान्त व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तथा विभिन्न ऋणों से मुक्त होता है।
- ऋग्वैदिक काल में बालविवाह नहीं होते थे, इस समय विवाह व्यक्तिगत निर्णयाधीन स्वयंवर द्वारा सम्पन्न होते थे।
- उत्तरवैदिक काल में जातिप्रथा की उत्त्पति के साथ बाल विवाह की शुरुआत हुई (सजातीय विवाह की अनिवार्यता)।
- विदेशी आक्रमणों के कारण बाल विवाह में वृद्धि हुई।
- संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी इसमें इजाफा हुआ।
- मध्यकालीन रूढ़ीवादी समाज में बाल विवाह की दर उच्चतम स्तर पर पहुँची।
- याज्ञवल्क्य– महिला का विवाह ही उसका उद्देश्य है, इसलिए उसे शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
- राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से बाल विवाह का विरोध किया।
- 1860 में जॉनसन के प्रयासों से महिलाओं की विवाह पश्चात यौन संबंधों से सहमति की आयु 10 वर्ष निश्चित की गई।
- 1872 ई. में नैटिव मैरिज एक्ट/ब्रह्म विवाह अधिनियम ब्रह्म समाजी केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ।
  1. विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 18 व लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई
  2. बाल विवाह पर प्रतिबंध
  3. बहु–विवाह पर प्रतिबंध
  4. अन्तरजातीय विवाह को मान्यता
  5. विधवा पुनर्विवाह को मान्यता पर यह लोकप्रिय नहीं था

क्योंकि :–

1. यह अधिनियम सिर्फ ब्रह्म समाजियों पर लागू हुआ।
2. इसमें शर्त थी कि विवाह करने वाला स्वयं को गैर हिन्दू घोषित करे।

सहमति आयु अधिनियम, 1891

1. 11 वर्षीय बंगाली बालिका फूलमणि का विवाह उपरान्त बलत्कार और मृत्यु के कारण विरोध हुआ।
2. B.M. मालाबारी और S.S. बंगाली के प्रयासों से सहमति की आयु बढ़कार 12 वर्ष कर दी गई।
   (वर्तमान IPC- 375 के अनुसार सहमति आयु 15 वर्ष है)।

- 1901–बड़ौदा रियासत– द इन्फैन्ट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट/बाल–विवाह निवारण अधिनियम पारित कर लड़कियों की आयु 12 वर्ष व लड़कों की विवाह आयु 16 वर्ष तय की गई।
- राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह पर 1885 में प्रतिबंध लगा।

शारदा एक्टः 1929–30

1. अजमेर निवासी हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ।
2. विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष तथा लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई।
3. यह एक्ट गवर्नर जनरल इरविन के समय पारित हुआ।

बाल विवाह की वर्तमान स्थिति (यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार)

- भारत में हर वर्ष 15 लाख लड़कियों का बाल विवाह होता है
- विश्व के 3 में से 1 बाल विवाह भारत में होते हैं।
- वर्तमान में 15 से 19 वर्ष की 16 % किशोरियों का विवाह हो चुका है।
- 2005–06 से 2015–16 के बीच 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी करने का प्रचलन 47 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया है।
- सर्वाधिक बाल विवाह :– झारखण्ड > बिहार
- न्यूनतम बाल विवाह :– हिमाचल 9%
- शहरों की अपेक्षा में गांवों में अधिक।
- दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक।

बाल विवाह के कारण–

1. पितृसत्तात्मक व्यवस्था– विवाह में बच्चों की सहमति नहीं ली जाती।
2. विवाह के नियम (सजातीय विवाह) भारत में बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं।
3. लैंगिक असमानता– समाज में लड़कियों की निम्न स्थिति।
4. लड़की को बोझ समझने की मानसिकता
5. सामाजिक परम्पराएं – अंधविश्वास
6. रूढ़िवादिता– इज्जत से जोड़कर देखा जाना।
7. निम्न आर्थिक स्थिति– गरीबी
8. शिक्षा का अभाव
9. धार्मिक : मृत्युभोज के साथ बाल विवाह
10. राजस्थान में आखातीज जैसे अवसर पर बड़े स्तर पर बालविवाह होते हैं।
11. जागरूकता का अभाव
12. कानूनों के अनुपालन में कमी
13. बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं।

बाल विवाह के प्रभाव

1. बाल विवाह से बचपन समाप्त हो जाता है।
2. बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
3. जनसंख्या वृद्धि – कम उम्र में विवाह से अधिक बच्चे पैदा करने की संभावना
4. कुपोषण में वृद्धि
5. मातृत्व मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में वृद्धि
6. लैंगिक असमानता में वृद्धि।

7. मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक हिंसा के मामलों में वृद्धि
8. तलाक के मामलों में वृद्धि
9. अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव– गरीबी का दुश्चक्र चलता रहता है।

बाल विवाह रोकने के उपाय

1. कानूनों का अनुपालन सुनिश्चत करना
2. कानूनों को युक्तिसंगत बनाना
3. हानिकारक सांस्कृतिक मानदण्डों को बदलना
4. सामुदायिक कार्यक्रमों को समर्थन
5. शिक्षा विस्तार के बारे में जागरूकता सृजन
6. महिला सशक्तीकरणः अधिक आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना।

सरकारी प्रयास

- सरकार सतत विकास लक्ष्य–5 (SDG-5) की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का उचित क्रियान्वयन।
- भारत ने 1993 में, 'महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, 1979' (UNGA) पर हस्ताक्षर किये।
    - इस कन्वेंशन का अनुच्छेद–16 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा बनाम अश्विनी कुमार मामला, 2006 में प्रत्येक प्रकार के विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के निर्देश दिये।

सरकारी योजनाएं

1. इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
2. महिला हेल्पलाइन योजना–181
3. वन स्टॉप सेंटर योजना
4. अमृता हाट बाजार
5. कौशल विकास योजना
6. महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण
7. शिक्षा सेतु योजना
8. राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम–2018
9. मुख्यमंत्री राजश्री योजना
10. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ
11. जेण्डर बजटिंग
12. साथिन कार्यक्रम

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार अपराध क्या है?

1. एक वयस्क पुरूष द्वारा एक बाल पत्नी से विवाह करना
2. बाल विवाह में किसी भी प्रकार से भागीदारी करना।
3. बाल विवाह में सहयोग करना
4. बाल विवाह को अनुमति देना या प्रोत्साहित करना या रोकने में विफल होना (माता–पिता या अभिभावक के रूप में)।
    - यह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसके अन्तर्गत 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
    - इस अधिनियम के अनुसार बच्चे वयस्क होने के 2 वर्ष के अन्दर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित करवा सकते हैं।

धारा–9

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 18–21 वर्ष के पुरूष द्वारा वयस्क महिला से विवाह करने पर उसे दण्डित नहीं किया जाएगा।

महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करना (जया जेटली समिति)

<u>पक्ष में तर्क :–</u>

1. शिक्षा के अधिक अवसर
2. व्यक्तित्व विकास में सहायक
3. जनन स्वास्थ्य
4. लैंगिक समानता– अन्तर समाप्त करना
5. आर्थिक भागीदारी के अधिक अवसर
6. मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में गिरावट।
7. तार्किक दृष्टिकोण– पति–पत्नी की उम्र में अंतर का कोई जैविक आधार नहीं है।

2. दहेज प्रथा

- दहेज प्रथा न केवल अवैध है, बल्कि अनैतिक भी है।
- परम्परागत समाज में स्त्रीधन परम्परा कालान्तर में दहेज प्रथा में रूपान्तरित हो गई।

  परिभाषा – दहेज वह धन, सामान या सम्पत्ति है जो दुल्हन का परिवार विवाह के समय दुल्हे के परिवार को देता है।

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार ''कोई भी संपत्ति या मूल्यवान कोष या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह में एक पक्ष द्वारा या विवाह के किसी भी पक्ष के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष को विवाह से पहले या बाद में देने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है''।

  फेयर चाइल्ड, के अनुसार– दहेज वह धन सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़कों के माता–पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा ली जाती है।
- रामायण–महाभारत में सीता–द्रोपदी को दहेज में बहुमूल्य वस्तुएं देने के उल्लेख मिलते हैं।
- मनुस्मृति का एक श्लोक ''कन्या प्रदान स्वाच्छन्घदासुरो धर्म उत्येत'' के अनुसार वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से दहेज लेना राक्षस विवाह के अन्तर्गत आता है।
- परम्परागत पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में लड़की को उत्तराधिकार में सम्पत्ति अधिकार न होने के कारण दहेज दिया जाता था।
- कृषक समाज में जोत के विभाजन को रोकने हेतु दहेज प्रथा शुरू हुई।
- उत्तर भारत में दहेज को उपहार, मुआवजा या कन्यादान माना जाता है।
- दक्षिण भारत में इसे वधू मूल्य/स्त्रीधन कहा जाता है जोकि लड़के द्वारा लड़की के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।
- साहित्यकार प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास के माध्यम से इस कुप्रथा के दुष्परिणामों को जनता के समक्ष रखा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॅार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 8000 से अधिक दहेज मौतें दर्ज होती है।
- दहेज की मांग के कारण हत्याएं और आत्महत्याएं हर रोज कम से कम 20 महिलाओं की मृत्यु का कारण बनती हैं।

दहेज के कारण

1. सामाजिक प्रथा की निरन्तरता
2. सामाजिक प्रतिष्ठा (कुलीन विवाह)
3. अन्तरजातीय विवाह का कम प्रचलन (अन्तरविवाह)
4. अनुलोम विवाह
5. विवाह की अनिवार्यता
6. भौतिकवादी संस्कृति–धन का महत्त्व
7. नौकरी को महत्त्व देना
8. आधुनिक महंगी शिक्षा
9. दहेज का दुश्चक्र (दिया है तो लेंगे)
10. पितृसत्तात्मक मानसिकता–महिलाओं की निम्न प्रस्थिति।

दहेज के प्रभाव

''दहेज एक गंभीर सामाजिक समस्या है।''

1. कन्या भ्रूण हत्या
2. तलाक तथा पारिवारिक विघटन
3. लैंगिक हिंसा तथा लैंगिक अपराध में वृद्धि
4. महिलाओं की हत्या तथा आत्महत्या में वृद्धि
5. महिलाओं का निम्न जीवनस्तर
6. गरीबी तथा ऋणग्रस्तता
7. बेमेल विवाह और बहुपत्नी कुप्रथा
8. महिला के वस्तुकरण को बढ़ावा
9. महिलाओं के कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव
10. बाल विवाह को बढ़ावा
11. अविवाहित महिलाओं की संख्या में वृद्धि
12. नैतिक पतन

रोकने के उपाय

- सामाजिक समस्या के राजनीतिक समाधान की सीमाओं को पहचानना (जनप्रिय आमसहमति का निर्माण करना)
- दहेज को एक सामाजिक कलंक बनाना।
- टी.वी., रेडियों और सोशल मीडिया के माध्यम से 'दहेज विरोधी साक्षरता' को बढ़ावा देना।
- लड़कियों को शिक्षित करना।
- महिलाओं की कार्यबल में वृद्धि
- लैंगिक समानता को बढ़ावा।
- जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता
- अन्तरजातीय विवाह को बढ़ावा
- दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में संशोधन कर कठोर बनाना।
- युवाओं में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा।
- कानूनों का कठोरता से अनुपालन करना।
- 'दुल्हन' ही दहेज है' अवधारणा का प्रचार–प्रसार।

कानूनी प्रावधान

1. दहेज निषेध अधिनियम,1961

- पहली बार संयुक्त संसदीय बैठक (लोकसभा–राज्यसभा) का आयोजन किया गया।
- धारा–2 – दहेज की परिभाषा
- दहेज लेना व देना दोनों अपराध।
- धारा–3 : कानून के उल्लंघन पर सजा–6 महीने से 5 साल तक, जुर्माना–15000 रू. या दहेज की राशि में से जो भी ज्यादा हो।
- 1984 व 1986 में संशोधन किया गया।
- इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया।
- यह बात आरोपी को साबित करनी होगी कि वह निर्दोष है।
- भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 304 (B) को जोड़ा गया।

2. भारतीय दण्ड संहिता–1860

- धारा 304 (B) के अनुसार यदि किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के भीतर शारीरिक चोट लगने, जलने या अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई है तथा इसमें पति के परिवार द्वारा प्रताड़ित करना साबित होता है तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा।
- अपराधी को न्यून्तम 7 वर्ष से अधिकतम आजीवन कैद की सजा हो सकती है।

3. **भारतीय दण्ड संहिता (IPC),** 1860 की धारा–498 (A) के अनुसार किसी महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों या दोनों द्वारा दहेज की मांग कर शारीरिक–मानसिक उत्पीड़न व क्रूरता की जाती है तो दोषसिद्धि पर तीन साल तक कारावास हो सकता है।

4. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
5. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।

3. तलाक : अर्थ, स्थिति, आधार, कारण, प्रभाव

- परम्परागत हिन्दू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है इसलिए विवाह विच्छेद या तलाक को कही भी परिभाषित नहीं किया गया है।
- सर्वप्रथम हिन्दुओं के लिए तलाक का विधान 1920 में कोल्हापुर राज्य में बना था।

  परिभाषा– तलाक एक औपचारिक (कानूनी), सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त और स्थायी रूप से वास्तविक विवाह की समाप्ति का रूप हैं विवाह में नागरिक, कानूनी या धार्मिक संबंध शामिल है।

- तलाक पति और पत्नी के बीच वैवाहिक समायोजन की विफलता का परिणाम है।

तलाक का दूसरा रूप है – परित्याग

- परित्याग, पति या पत्नी या दोनों की ओर से अनौपचारिक रूप से एक दूसरे को छोड़ने या भूमिका निर्वहन से इन्कार करने से है।
- परित्याग अस्थायी या स्थायी हो सकता है।
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भारत में तलाक के आधार निम्नलिखित है–

  1. व्यभिचार
  2. परित्याग
  3. धर्मान्तरण
  4. मानसिक विकार
  5. कुष्ठ रोग
  6. यौन रोग
  7. अवैध संबंध
  8. सन्यास धारण
  9. दूसरा विवाह
  10. सात साल तक लापता रहना
  11. वैधानिक कर्त्तव्य न निभा पाना
- हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (B) व विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत पति–पत्नी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की अर्जी दे सकते हैं। इसके बाद एक पक्ष जानबूझकर टालमटोल करता है तो भी अदालत तलाक दे सकती है।

आर श्रीनिवास कुमार बनाम आर शमेधा केस–

- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद–142 के तहत इर्रीट्रोवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार माना।
- इसके अनुसार जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य और भावनात्मक रूप से शून्य हो जाते हैं अर्थात सुधार की संभावना न हो तो यह तलाक का आधार हो सकता है।
- मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 इस्लाम के लिए तलाक का आधार है।
- शाह बानो मामले (1985) में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह एक मुस्लिम महिला को उसके पति द्वारा गुजारा भत्ता देने के संबंधित नियम बनाए।
- सायरा बानो वाद (2017) में इन निर्देशों को पुनः दोहराया।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

- तलाक–ए–बिद्दत :– मुस्लिम पति द्वारा तुरंत तीन बार 'तलाक' की बोलकर घोषणा।
- इसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

तलाक ए सुन्नत/तलाक–ए–हसन

- एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महिने तक एक बार 'तलाक' बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।
- विवाह की इस अवधि के दौरान सुलह के प्रयास विफल हो जाते हैं, तलाक को मान्यता दी जाएगी।
- इसमें दुबारा विवाह के लिए निकाह हलाला से गुजरना पड़ता है।

तलाक–ए–अहसन

- शौहर के एक बार तलाक बोलने के पश्चात पति–पत्नी तीन महीने तक एक छत के नीचे रहते है। पति चाहे तो इन तीन महिनों में दो गवाहों की मौजूदगी में बोलकर या शारीरिक संबंध के जरिये तलाक वापस ले सकता है।
- अगर ऐसा नहीं होता है तो तीन महीने बाद तलाक हो जाता है।
- इससे पुनः विवाह हेतु निकाह हलाला से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती।

निकाह हलाला– तलाक के पश्चात अपने पूर्व पति से पुनः विवाह करने से पहले महिला को किसी अन्य पुरूष से विवाह करके तलाक लेना पड़ता है।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम–2019

प्रावधान :–

1. तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) अर्थात एक बार में बोलकर तलाक देना गैरकानूनी है।
2. तीन तलाक संज्ञेय अपराध है – बिना वारंट गिरफ्तारी संभव
3. पीड़िता, उसके रक्त संबंधी या विवाह संबंधी केस दर्ज करवा सकते हैं।
4. आपसी समझौतें से केस वापस लिया जा सकता है।
5. मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा तीन तलाक अवैध होगा।
6. पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है।
7. पीड़िता मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी होगी।
8. आरोपी पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है।

वर्तमान स्थिति

- ब्रिटेन में एक तिहाई तथा USA में 50% तलाक दर के मामलों की तुलना में भारत में नगण्य संख्या में तलाक होते हैं।
- हालांकि पिछले कुछ सालों से भारत में भी तलाक के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

तलाक के कारण

1. तलाक की समाज में बढ़ती स्वीकार्यता, अब इसे पाप नहीं माना जाता है।
2. अब विवाह को पवित्र आध्यात्मिक मिलन की बजाय एक व्यक्तिगत और व्यावहारिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है।
3. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भावना

4. महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता का विस्तार
5. समानता की धारणा
6. वैवाहिक सुविधाओं का प्रसार
7. प्रेम विवाह से उत्पन्न तनाव
8. स्त्री शिक्षा का प्रसार
9. घरेलू वैमनस्य, व्याभिचार, नपुंसकता, बांझपन, अवैध संबंध, क्रूरता, नशे की प्रवृत्ति आदि।
10. वित्तीय समस्याएं, भावनात्मक अपरिपक्वता, बाल विवाह, नए वातावरण व रिश्तों में समायोजन में कठिनाई।
11. संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का चलन
12. शहरीकरण में वृद्धि
13. पाश्चात्य मूल्यों का प्रभाव
14. खराब पारस्परिक संचार
15. पितृसत्तात्मक मानसिकता :— महिलाओं को घरेलू व बाहारी कामकाज के रूप में दोहरी भूमिका का निर्वहन करने के लिए मजबूर करना।

तलाक का प्रभाव

- तलाक को किसी भी समाज में व्यक्तिगत दुर्भाग्य रूप में देखा जाता है।
- तलाक बच्चों के लिए बाल श्रम, किशोर अपराध, अव्यवस्थित व्यक्तित्व, अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है।
- पुराने मूल्य, परम्पराएं तथा संस्कृति में बिखराव देखने को मिलता है।
- परिवार भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण माहौल में जाता है।
- लैंगिक भेदभाव – तलाकशुदा महिला को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है और पुनः निकाह मुश्किल से होता है।
- पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिलता है।
- दोनों पक्षों के लिए वित्तीय कठिनाई बढ़ती है।
- गुजारे भत्ते की समस्या।
- परिवार भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण माहौल में जीता है।
- लैंगिक भेदभाव – तलाकशुदा महिला को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है और पुनः निकाह मुश्किल से होता है।
- पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिलता है।
- दोनों पक्षों के लिए वित्तीय कठिनाई बढ़ती है।
- गुजारे भत्ते की समस्या।
- तलाकशुदा जोड़े के बच्चों को सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- कोर्ट—कचहरी के चक्कर में आर्थिक नुकसान व मानसिक थकावट।
- ग्रामीण समाज में खाप या जातीय पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार और भारी आर्थिक दण्ड का डर।
- बुर्जुगों व बच्चों की देखभाल में कमी।

सकारात्मक

- समानता के सिद्धान्त का पोषक
- पारिवारिक निर्णयों में महिला सहभागिता

- महिलाओं की स्थिति में सुधार
- दंपती में उत्तरदायित्व की भावना का विकास

उपाय –

- तलाक समाधान केन्द्र स्थापित करना
- सहकारी मूल्यों को बढ़ावा देना
- लैंगिक भेदभाव और लैंगिक हिंसा पर नियंत्रण
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष –

- भारत में विवाह एक पवित्र संस्कार है और यह गांठ आसानी से नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि यह समाज की बुनियादी इकाई यानी परिवार के विघटन को बढ़ावा देता है जो समाज को अस्वस्थ बनाता है।
- तलाक का फैसला बुरा नहीं है, लेकिन यह आखिरी विकल्प होना चाहिए।

4. अनुसूचित जाति के मुद्दे

- परंपरागत रूप से दलित कई समस्याओं से पीड़ित थे।
- हरिजनों की दशा बताते हुए के. एम. पणिक्कर ने टिप्पणी की है, ''उनकी स्थिति, जब व्यवस्था अपनी प्राचीन महिमा में काम करती थी, कई मायनों में गुलामी से भी बदतर थी''।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या में 16.6 % (20.14 करोड़) आबादी दलितों की है।
- अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान–
- संविधान का अनुच्छेद 21 – सम्मान के साथ जीवनयापन का अधिकार।
- संविधान का अनुच्छेद 15(4) – उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।
- अनुच्छेद 16(4A) – SC/ST के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में आरक्षण, जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
- अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 19(1) – व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 25 – हिन्दुओं की सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिये गये हैं।
- अनुच्छेद 46 – राज्य कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष प्रभाव से बढ़ावा देने और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए निर्देश दे सकता है।
- अनुच्छेद 335 – संघ या किसी राज्य की सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की नियुक्ति में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।
- अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

  भाग 9(A) के तहत, पंचायत और स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसमें संशोधन अधिनियम, 2018।
- अनुच्छेद 338 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  भारत सरकार द्वारा आयोग की स्थापना अनुसूचित जातियों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

<u>अनुसूचित जाति की समस्याएं –</u>

सामाजिक समस्या

- ये समस्याएं पवित्रता और प्रदूषण की अवधरणा से संबंधित है।
- अछूतों को समाज में बहुत निम्न स्थान दिया जाता था।
- उच्च जाति ने उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखी।
- उन्हें जीवन की कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया।
- उच्च जाति के किसी भी व्यक्ति को अछूत के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता था।

धार्मिक समस्याएं –

- अछूतों को न तो मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति थी और न मंदिर में देवी–देवताओं की पूजा करने का कोई अधिकार था।

आर्थिक समस्याएं –

- उन्हें कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और उन्हें उनकी सेवा के लिए उचित मूल्य नहीं दिया जाता था।
- परंपरागत रूप से, अछूत अपनी खुद की भूमि तथा संपत्ति से वंचित थे।
- अछूत अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं थे।
- उन्हें सड़कों को साफ करना, मृत मवेशियों को हटाना और भारी कृषि कार्य करवाया जाता था।
- अधिकांश वे भूमिहीन मजदूर है।

मैला ढोना –

- मैला ढोना का अर्थ है – ''सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई करना''।

सार्वजनिक विकलांगताएं –

- हरिजनों को कई सार्वजनिक अपमानों का सामना करना पड़ता था।
- उन्हें सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कुएं, परिवहन के साधन, शैक्षणिक संस्थानों की सेवाओं का उपयोग करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था।

शैक्षिक समस्याएं –

- परंपरागत रूप से अछूत शिक्षा प्राप्त करने से वंचित थे।
- उन्हें सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।
- आज भी अधिकांश निरक्षर हैं।

आज दलितों में कई नये मुद्दे उभरे है –

1. आरक्षण जैसे लाभों के कारण दलित समाज की संरचना में काफी हद तक बदलाव आया है।

   आरक्षण का लाभ अभिजन दलित ही बार–बार ले रहे हैं क्योंकि इस वर्ग में क्रीमिलेयर का प्रावधान नहीं है।
2. बहुसंख्यक दलित :–
   - सीमांत कृषक है।
   - भूमिहीन श्रमिक है।
   - अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है।
   - इससे उनमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता है और वे बहिष्कृत की श्रेणी में आ जाते हैं।
3. सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन दलितों में गरीबी को जन्म देता है। गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है यह नये प्रकार के अस्पृश्यता को दिखाती है।
4. इनके बच्चे कुपोषित, निरक्षर, अशिक्षित होते हैं जिससे उनका मानव विकास प्रतिबन्धित होता है।
5. आज भी गाँवों में दलित मुख्य गाँव से अलग निवास करते हैं और शहरों में ये मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। यह अस्पृश्यता का नया रूप है।

6. दलित चेतना का उभार हुआ है, जिससे जातीय तनाव बढ़ा है।

क्या करने की जरूरत है –

- आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता को सुगम बनाना।
- विश्वविद्यालयों को उद्यमिता पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सुनिश्चित करें कि इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपाय लाभार्थियों तक पहुंचे– उदाहरण के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना।
- समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विचारों द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
- सेवा क्षेत्र में कौशल और लघु व्यवसाय विकास को बढ़ावा देना।
- अनुसूचित जाति के सदस्य आमतौर पर जमींदार या कृषक नहीं होते हैं।
- इसलिए उन्हें स्थानीय और अन्य बाजारों के साथ एकीकरण और प्रतिस्पर्धा करने में मदद की जरूरत है जो सलाह और अन्य गैर–वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दलितों के कानूनी और न्यायिक संरक्षण को मजबूत करना।
- संस्थानों का क्षमता निर्माण और संवेदीकरण करना।
- मौजूदा सरकारी नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
- प्रत्येक मंत्रालय को अपने खर्च का 15% अनुसूचित जाति उप योजना के लिए अलग रखना होगा।
- इन फंडों का उपयोग दलितों के सॉफ्ट स्किल्स सहित रोजगार सृजन और स्वरोजगार, क्षमता निर्माण के लिए सुनिश्चित करना होगा।
- अच्छे सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करें : किसी भी विभाग या निकाय द्वारा किए गए कार्यों के नवाचार, प्रभावशीलता और सकारात्मक प्रभाव को पुरस्कृत किया जा सकता है।
- नागरिक समाज के साथ बेहतर जुड़ाव : दलित मुद्दों पर काम कर रहे नागरिक समाज समूहों के साथ संरचित जुड़ाव सुनिश्चित हो।
- सामाजिक प्रथाओं की पहचान करें जो भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और नागरिक समाज और सरकार को उनके आसपास बहस, विचार–विमर्श, जागरूकता अभियान आयोजित करने में मदद कर सकती हैं।
- अंतर–अनुशासनात्मक अनुसंधान की सुविधा द्वारा भविष्य की चुनौतियों की तैयारी।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज को सबसे पहले उन पांच सबसे बड़ी चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए, जिनका दलितों को अगले पांच वर्षों में सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कम करने के तरीके सुझाने होंगे।

निष्कर्ष –

- सामाजिक पहचान हमारे समाज में इतनी गहरी है कि वे अक्सर व्यक्तियों के भाग्य का फैसला करती हैं।
- केवल नौकरियां, योजनाएं और पुलिस व्यवस्था ही ऐसी चीजें नहीं हैं जो भारत में सामाजिक प्रतिनिधित्व की समानता और गरिमा को सुनिश्चित कर सकती हैं।
- सशक्तीकरण अपने सच्चे अर्थों में एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण करके ही लाया जा सकता है जो उत्पीड़ित और वंचित वर्गों की पीड़ा और कलंक को दूर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

5. Old Age (बुजुर्ग)

- कमजोर वर्ग वे वर्ग हैं जो गरीब, पिछड़े और समाज से बहिष्कृत हैं जैसेः– महिला, बच्चे, तृतीय लिंग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, सीमान्त कृषक, अनौपचारिक श्रमिक, अनाथ, वृद्ध आदि।
- राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित करती है।
- बुढ़ापा एक सतत, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
- जिस उम्र में किसी का उत्पादक योगदान कम हो जाता है और वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, उसे जीवन के उम्र बढ़ने के चरण की शुरुआत माना जा सकता है।

वृद्धावस्था के आंकड़े

1. भारतीय जनसंख्या का आयु विभाजन–

आयु समूह	जनसंख्या %
0 to 14	30.8%
15 to 59	60.3%
60+	8.6%

2. जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 10.4 करोड़ बुजुर्ग व्यक्ति हैं।
3. 1951 में यह 5.5% से बढ़कर 2011 में 8.6% हो गई है।
4. 2050 में 19% तक बढ़ने का अनुमान है।
5. 71 प्रतिशत वृद्ध जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जबकि 29 प्रतिशत वृद्ध जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है।
6. आजादी के समय जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी जो अब 69 वर्ष है।

वृद्धावस्था का नारीकरण –

- UNPF की रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धावस्था का नारीकरण एक प्रमुख मुद्दा है।
- बुजुर्गों का लिंगानुपात 1971 में 938 से 2011 में 1,033 हो गया और 2026 तक बढ़कर 1,060 हो जाने का अनुमान है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2000 और 2050 के बीच 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की आबादी 700% तक बढ़ जायेगी।

बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याएं

सामाजिक मुद्दे

- औद्योगीकरण, शहरीकरण, तकनीकी परिवर्तन, शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- समाज परम्परागत मूल्यों, संस्थागत क्षरण और अनुकूलन की प्रक्रिया में हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीढ़ीगत संबंध कमजोर हो रहे हैं जो परम्परागत परिवार की पहचान थे।
- बच्चों द्वारा अपने वृद्ध माता–पिता के प्रति लापरवाही देखी जा रही हैं।
- सेवानिवृत्ति के कारण अकेलेपन की समस्या।

- बुजुर्गों में शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी और अलगाव की भावना।
- पीढ़ीगत अंतराल।
- कम डिजिटल साक्षरता– 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले (5.3% पुरुष और 1.7% महिलाएं) कंप्यूटर चला सकते हैं।

वित्तीय/आर्थिक मुद्दे

- ग्रामीण क्षेत्रों से कामकाजी उम्र के युवाओं के प्रवासन का बुजुर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आमतौर पर गरीबी और विपत्ति में वृद्धि।
- मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बुजुर्गों की अपने बच्चे पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी जेब से खर्च में अचानक वृद्धि हो जाती हैं।
- अपर्याप्त आवास सुविधा।

स्वास्थ्य के मुद्दें

- वृद्धावस्था में वृद्धों में बहु–विकलांगता की स्थिति।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अंधापन, चलने में अक्षमता और बहरापन सबसे अधिक प्रचलित हैं।
- बुढ़ापें और न्यूरोसिस से उत्पन्न होने वाली मानसिक बीमारी।
- ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का अभाव।

हाल ही में, सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)–योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) –

- वरिष्ठ बीपीएल नागरिकों को सहायता और सहायक जीवित उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जो कम दृष्टि, श्रवण असुविधा, दांतों की समस्या और चलन अक्षमता जैसी आयु से संबंधित अक्षमताओं से पीड़ित हैं।
- लाभार्थियों को सहायक उपकरण, जैसे चलने की छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम डेन्चर और चश्मा प्रदान किए जाते हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना–

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60+ वर्ष आयु वाले व्यक्तियों व उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति को 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY)– यह एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। जिसका उद्देश्य सदस्यता राशि पर निश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना– 1.5 लाख से 15 लाख तक के निवेश पर 1000 से 9,250 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन मिलती है।

वयोश्रेष्ठ सम्मान– 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वृद्ध व्यक्तियों द्वारा योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत वरिष्ठ नागरिकों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999– वित्तीय, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल हेतु।

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007– इसके अनुसार बच्चों और रिश्तेदारों द्वारा वृद्धजनों का भरण–पोषण आवश्यक है।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, 2016।

ट्रेनों, बसों में बुजुर्गों को आरक्षण।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना– 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 750 रुपये से 1000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कानूनी समर्थन

- DPSP में अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान हैं।
- हिंदू विवाह और दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1956 की धारा 20, वृद्ध माता–पिता की देखभाल के लिए अनिवार्य प्रावधान करती है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत माता–पिता अपने बच्चों से भरण–पोषण का दावा कर सकते हैं।
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007।
- वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित है।
- UNO ने 2002 में उम्र बढ़ने पर मैड्रिड इंटरनेशल प्लान को सम्मिलित किया।

समाज में योगदान –

- वरिष्ठों के योगदान को स्वीकार करने से एक अधिक आयु–समावेशी समाज बनाने में मदद मिलेगी।
- बुजुर्ग लोगों के पास अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का अपार अनुभव होता है, समाज को बड़े पैमाने पर उन अनुभवों को बेहतर कल के निर्माण के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- वृद्धजन पीढ़ी के अंतर को कम करके समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं।
- संयुक्त परिवारों में दादा–दादी से युवा पीढ़ी तक नैतिक मूल्यों का स्थानांतरण होता है।
- उनके गहन सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव असहिष्णुता, हिंसा, घृणा और अपराधों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।
- वे अपनी अंर्तदृष्टि और समझ के माध्यम से परिवारों के भीतर और बाहर दोनों ही तरह के सामाजिक तनावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- बुजुर्ग आबादी के लिए विशेष बजट का आवंटन।
- ग्राम स्तर पर बुजुर्गों के योगदान के लिए सराहना।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार।
- क्षमता अनुसार रोजगार प्रदान करना।
- गरीब बुजुर्गों के लिए रहने की सुविधा (प्रधानमंत्री आवास योजना)।
- पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और क्लब जैसी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- बुजुर्गों की मासिक पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 2,000 रुपये प्रति माह करना।
- वरिष्ठों के लिए जमा राशि पर कर हटाना और अधिक कर लाभ दिया जाना चाहिए।
- रजत अर्थव्यवस्था– वृद्ध जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उनके अनुभव का आर्थिक लाभ उठाना रजत अर्थव्यवस्था की है।

6. मादक पदार्थों की लत

मादक पदार्थ (Drugs) :– वे रासायनिक पदार्थ जिनके सेवन से मनुष्य के मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक मनौवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते है।

मादक पदार्थों का व्यसन (Addiction) :- जब व्यक्ति मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के कारण इनका आदी हो जाता है तथा इनके अभाव में शरीर पर नियंत्रण नहीं रह जाता तो वह व्यसन (addiction) कहलाता है।

1. **प्राकृतिक मादक पदार्थ :–** तम्बाकू, भांग, गांजा, अफीम, डोडा, पोस्त आदि।
2. **कृत्रिम मादक पदार्थ :–** शराब, कोकीन, हेरोइन, स्मैक, ब्राउन–शुगर आदि।

मादक पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं :–

1. शराब

- सुख का एहसास करवाती है
- अवसादक का कार्य भी करती है।

2. अवसादक / शांतिकर

- केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा करते हैं
- नींद में वृद्धि करते हैं।
- व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलते है।
- उदाहरण – ट्रेन्विलाइजर और बार्बिट्यूरेट

उपयोग :

- उच्च रक्त चाप, अनिद्रा, मिरगी के उपचार में।
- सर्जरी के समय रोगी को दिया जाता है।
- इससे व्यक्ति आलसी, उदासीन और चिड़चिड़ा हो जाता है।

3. उत्तेजक

- केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील बनाते हैं।
- थकान और आलस दूर करते हैं।
- व्यक्ति की मानसिकता बदलते हैं।
- अचानक बन्द करने पर मानसिक बीमारी, अवसाद तथा आत्महत्या का खतरा बढ़ा देता है।

उदाहरण – कैफीन, कोकीन, एम्फेटेमाइन आदि।

4. नार्कोटिक / स्वापक / तंद्राकर / मूर्धकर

- सुन्न करने का कार्य करती है।
- ये आनन्द, साहस, श्रेष्ठता आदि की भावना पैदा करती है।
- संकोची स्वभाव दूर होता है।
- भूख कम लगती है।

उदाहरण – मार्फीन, अफीम, हेरोइन, स्मैक, चरस, गांजा आदि।

5. भ्रमोत्पादक :–

- अनुभूतियों में विकृति पैदा करते हैं।
- वास्तविकता को अलग रूप में दिखाना

उदाहरण– LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

6. निकोटिन :– तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, आदि।

वर्तमान स्थिति

1. दुनियाभर में 190 मिलियन से अधिक ड्रग उपयोगकर्ता है।
2. युवाओं में यह दर तेजी से बढ़ रही हैं
3. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टड़ी के अनुसार 2019 में ड्रग से विश्व में 7.5 लाख मौते हुई। भारत में इससे 22000 लोग मारे गए।
4. कुछ अनुमानों के अनुसार वैश्विक नशीले पदार्थों की तस्करी का व्यापार 650 अरब डॉलर का है।
5. एम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3.1 करोड़ लोग भांग का सेवन करते हैं।
6. भारत वैध अफीम का बड़ा उत्पादक देश है।

मादक पदार्थों के सेवन के कारण

1. भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम और कोकीन उत्पादक क्षेत्रों के बीच अवस्थित है। (Golden Triangle and Crescent)
2. पश्चिमी भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव।
3. सामाजिक कार्यक्रमों में परम्परागत रूप से सेवन।
4. व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्याओं से उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सेवन करता है।
5. क्षणिक सुख और संवेदात्मक आनन्द प्राप्त करने के लिए।
6. युवाओं द्वारा फैशन का पर्याय समझना
7. बुरी संगतों के प्रभाव से।
8. चार्वाक दर्शन खाओ–पीओ–मौज करो की नीति का प्रभाव।
9. विज्ञापन, मीडिया, सिनेमा आदि का नकारात्मक प्रभाव।
10. कामगार वर्ग द्वारा कार्यक्षमता बढ़ाने व थकान दूर करने के लिए।
11. युवाओं द्वारा यौन उत्तेजना में वृद्धि के लिए।
12. ड्रग डीलर्स द्वारा आय बढ़ाने के लिए ड्रग को अधिक प्रोत्साहन।
13. आतंकवादी समूहों द्वारा फंडिग के विकल्प के रूप में ड्रग को प्रोत्साहन।

नशीली दवाओं की लत का प्रभाव

1. नशीली दवाएं व्यक्ति की स्मरण शक्ति, चिन्तन की क्षमता व विवेकशीलता को कम करती है।
2. समाज में हिंसा, अपराध की दर में वृद्धि।
3. दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा।
4. निराशा, अवसाद तथा आत्महत्या की दरों में वृद्धि।

5. शारीरिक–मानसिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव।
6. स्वास्थ्य संबंधी खतरे यथा कैंसर, हेपेटाइटिस– B & C, एड्स आदि रोगों का प्रसार।
7. पारिवारिक कलह में वृद्धि।
8. महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों का बढ़ना।
9. राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा।
10. मानव संसाधन विनाश तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता में कमी होना।
11. गरीबी के दुश्चक्र का निरन्तर रहना।
12. अवैध आपराधिक गतिविधियों जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद का वित्तपोषण।
13. बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव।
14. व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी।
15. संगठित अपराध, मानव दुर्व्यहार, बाल श्रम, अपहरण में वृद्धि।

नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने में चुनौतियाँ

1. कानूनी रूप से उपलब्धः– तंबाकू, शराब
2. सरकारी राजस्व का बड़ा स्त्रोत।
3. दवाओं के लिए सरकार की अफीम उत्पादन को मजूंरी।
4. पुनर्वास केन्द्रों की अपर्याप्त उपलब्धता।
5. अन्तरराज्यीय ड्रग तस्करी।
6. अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी/पारगमन का केन्द्रीय बिन्दु ।
7. सामाजिक स्वीकार्यता।
8. राजनेता–तस्करों का गठजोड़।

सरकार द्वारा प्रयास–

1. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS), 1985 – मादक पदार्थों के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन और भण्डारण पर रोक।
2. सरकार ने सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केन्द्रित 'नशामुक्त भारत' अभियान की घोषणा की है।
3. 2016 में नार्को समन्वय केन्द्र (NCORD) का गठन कर राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
4. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने ''जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली'' (SIMS) नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित कर अपराधियों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया है।
5. नशीली दवाओं के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष का निर्माण।
6. प्रोजेक्ट सनराइज (2016) – उत्तरी–पूर्वी राज्यों में HIV को रोकने के लिए।
7. नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना।
8. नशामुक्त भारत अभियान (2022)- 272 जिलों में।
9. BSF द्वारा सीमा पर सघन निगरानी।
10. रेलवे द्वारा सघन तलाशी अभियान।

राजस्थान में प्रयास

1. नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय का गठन।
2. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन।

3. एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन।
4. नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ 'स्व. गुरुशरण छाबड़ा जनजागरूकता अभियान'।
5. नवजीवन योजना–2009

   'हथकढ़ शराब' से जुड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए ।
6. निरोगी राजस्थान अभियान।
7. 26 जून– अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध राजस्थान अभियान।
8. राजस्थान पुलिस– Operation Clean Sweep.

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

1. संयुक्त राष्ट्र (UN) नारकोटिक ड्रग पर सम्मेलन (1961) पर भारत द्वारा हस्ताक्षर ।
2. मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)।
3. स्वापक दवाओं और मनप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ युक्त राष्ट्र सम्मेलन (1988)।
4. अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC)-2000।
5. इंटरपोल द्वारा निगरानी।
6. सामूहिक समुद्री निगरानी अभियान।

अन्य प्रयास

1. NDPS अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना।
2. पुलिस विभाग की कार्यकुशलता में वृद्धि ।
3. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा।
4. उड़ता पंजाब जैसी फिल्म के माध्यम से जागरूकता लाना।
5. नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या बढ़ाना।
6. शिक्षा पाठ्यक्रम पर जोर।
7. सामुदायिक स्तर पर निगरानी।
8. DPSP- अनुच्छेद 47 की भावना के अनुरूप विभिन्न एंजेसियों के मध्य समन्वय स्थापित कर नशामुक्त भारत का सपना साकार करना।

7. Disabled (दिव्यांग)

विकलांग :– वे जो शारीरिक या मानसिक विकार के कारण सामान्य मनुष्य की तरह कार्य कर पाने में सक्षम नहीं होते, विकलांग कहलाते हैं। यह शब्द नकारात्मक प्रतीत होता है।

दिव्यांग :– दिव्यांग का अर्थ है जिनके पास दिव्य अंग है, जिससे वे विशिष्ट तरीके से कार्य को करते हैं।

विश्व दिव्यांग दिवस– 3 दिसम्बर

- दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। दिव्यांगता एक छत्र शब्द है, जिसमें दुर्बलता, क्रियाकलाप में सीमाएं और भागीदारी में प्रतिबंध शामिल हैं।
- '' दिव्यांग व्यक्ति'' का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व संवेदी दुर्बलता वाला व्यक्ति जो सामान्य रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से वंचित होता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में, 121 करोड़ की कुल जनसंख्या में से, लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति ' *दिव्यांग* ' हैं (कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत)।
- 2.68 करोड़ में से 1.5 करोड़ पुरूष (56 प्रतिशत) और 1.18 करोड़ महिलाएं (44 प्रतिशत) हैं।
- दिव्यांग आबादी का बहुमत (69 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।
- केवल 55 प्रतिशत दिव्यांगजन साक्षर है।
- दिव्यांगजनों में से केवल 36 प्रतिशत ही कामगार है।

भारत में विकलांगों के लिए संवैधानिक ढांचा

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में विकास के लिए सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान बना सकता है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'विकलांगों और बेरोजगारों की राहत' का विषय सम्मिलित है।

मुद्दे और चुनौतियां

- भेदभाव/सामाजिक बहिष्करण : दिव्यजनों को दैनिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक बीमारी या मानसिक मंदता से पीड़ित लोगों को दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।
- दिव्यांगजनों के परिवारों और अक्सर स्वयं को नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्तियों को परिवार, समुदाय या कार्यबल में सक्रिय भाग लेने से रोका जाता है।
- अपर्याप्त डेटा और आँकड़ेः तुलनीय डेटा और आँकड़ों की कमी विकलांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है।
- नीतियों और योजनाओं का अपर्याप्त क्रियान्वयन विकलांग व्यक्तियों के समावेशन में बाधा डालता है।
- यद्यपि विकलांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियम और योजनाएँ निर्धारित की गई हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य :

- स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण भारत में विकलांगता के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने में विफल रहा है साथ ही उचित स्वास्थ्य देखभाल, सहायता और उपकरणों तक किफायती पहुँच का अभाव है।
- पुनर्वास केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी समस्या है।

शिक्षा :

- विशेष स्कूलों की उपलब्धता, स्कूलों तक पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षकों और विकलांगों के लिए शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता जैसे विभिन्न मुद्दे हैं।
- शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है।
- मध्यम विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में शामिल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान लागू नहीं किया जाता।

रोजगार :– भले ही कई विकलांग उत्पादक कार्य करने में सक्षम हैं, विकलांग वयस्कों में सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम रोजगार दर है। निजी क्षेत्र में स्थिति और भी खराब है, जहां विकलांगों को कम रोजगार मिलता है।

सुलभता :– भवनों, परिवहन, सेवाओं आदि में भौतिक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

विकलांगों के लिए कानून –

विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 :

अधिनियम विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

- नया अधिनियम हमारे कानून को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (UNCRPD) के अनुरूप लाएगा, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- विकलांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- यह विकलांग लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक आरक्षण को बढ़ाता है।
- 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
- सुगम्य भारत अभियान के साथ–साथ निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों में पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे।
- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाए।
- यह बिल विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों और नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।

भारत में विकलांगों के लिए कार्यक्रम/पहल

- सुगम्य भारत अभियान : अभियान का लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली, सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र की दिव्यांगजनों तक पहुंच को बढ़ाना है।
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना : योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय आधारित पुनर्वास, प्री–स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप आदि।
- विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरण (ADIP) की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता : इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को उनकी पहुंच के भीतर लाकर सहायता प्रदान करना है।

विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (RGMF):

- इस योजना का उद्देश्य विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि करना है।
- इस योजना के तहत विकलांग छात्रों को प्रति वर्ष 200 फैलोशिप प्रदान की जाती है।

आगे का रास्ता

- रोकथाम : निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता है और सभी बच्चों की कम उम्र में जांच की जानी चाहिए।
- बड़ी संख्या में विकलांगता को रोका जा सकता है, जिनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी समस्याओं, मातृ स्थिति, कुपोषण, साथ ही दुर्घटनाओं और चोटों से उत्पन्न होने वाली अक्षमताएं शामिल हैं।
- केरल ने पहले ही एक प्रारंभिक रोकथाम कार्यक्रम शुरू कर दिया है– "व्यापक नवजात स्क्रीनिंग (CNS) कार्यक्रम", शिशुओं में कमियों की शीघ्र पहचान और राज्य के विकलांगता के बोझ को कम करने का बेहतर प्रयास करता है।
- बेहतर माप : विकलांगता के माप में सुधार करके भारत में विकलांगता के पैमाने को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

जागरूकता :

- एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए विकलांग लोगों की सफलता की कहानियों को दिखाया जा सकता है।
- इससे विकलांगता की प्रतिकूल प्रवृति पर काबू पाकर बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है ।
- पहुंच : आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आदि जैसे सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, इसके अलावा, भवनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।

- रोजगार : निशक्त वयस्कों को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त बनाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र को उन्हें रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- शिक्षा : विशेष स्कूल स्थापित होने चाहिए और विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित करानी होगी।
- विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें नियमित स्कूलों में शामिल करने की सुविधा के लिए उचित शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए।
- नीतिगत हस्तक्षेपः विकलांगों के कल्याण के लिए अधिक बजटीय आवंटन। लिंग बजट की तर्ज पर विकलांगता बजट होना चाहिए।
- शासन व्यवस्था में सुशासन : योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक निधियों की उचित निगरानी और जवाबदेहिता होनी चाहिए।

राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए योजनाएं–

1. दिव्यांग पेंशन योजना– विशेष योग्यजन लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 750 रुपये पेंशन प्रदान की जाती है।
2. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना–

   i. 18 से 55 वर्ष के दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपये का ऋण।

   ii. ऋण की 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में।
3. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना– गरीब दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रति दम्पती 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
4. मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना
5. कृत्रिम उपकरण हेतु अनुदान योजना– कृत्रिम उपकरण के लिए 10,000 रू. की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
6. पालनहार योजना – विशेष योग्यजन माता–पिता के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह देय है।
7. आस्था योजना–

   i. किसी परिवार के दो या दो से अधिक व्यक्ति दिव्यांग होने पर आस्था कार्ड जारी किये जाते हैं।

   ii. BPL के समकक्ष लाभ दिए जाते है।

8. भारत में जनजातीय समाज (भील, मीणा, गरासिया आदि)

- भारतीय समाज में जनजाति का अभिप्राय वन्य जाति, आदिवासी, आदिम जाति आदि से हैं जो आज भी जंगलों में निवास करती है।

नामकरणः–

- वैरियन एलविन, ठक्कर बापा और रिजले– ''आदिवासी, बेंस–पर्वतीय कबीला''।
- जे. एच. हटन– ''पिछड़ा कबीला, क्रोबर–आदिम जाति''।

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया के अनुसार–

- जनजाति परिवारों का एक संकलन है, जिसका एक नाम है, जो एक बोली बोलती है, सामान्य भू–भाग पर अधिकार रखती है और जो अन्तर्विवाही रही है।
- गोविन्द सदाशिव घुर्ये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिन्दु माना है।
- भारतीय संविधन का अुच्छेद 366 (25) के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों का सन्दर्भ उन समूहों से हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत सार्वजनिक अधिसूचना के आधार पर अधिसूचित किया है।
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 8.6 % है।
- राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92 लाख है जो कुल आबादी का 13.48% है। 1961 में यह 11.2 % था।
- राजस्थान जनजातियों की संख्या के अनुसार देश में छठा स्थान रखता है।

सर्वाधिक जनजाति (संख्या के अनुसार)–

1. उदयपुर
2. बांसवाड़ा
3. डूँगरपुर
4. जयपुर
5. सवाई माधोपुर

सर्वाधिक जनजाति (प्रतिशत के अनुसार)–

1. बांसवाड़ा (76.4%)
2. डूंगरपुर (70.8%)
3. प्रतापगढ़ (63.4%)
4. उदयपुर (49.7%)
5. सिरोही (28.2%)

- जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर व नागौर में है।

- राजस्थान में सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति की है इसके बाद क्रमश : भील, गरासिया, सहरिया, डामोर का स्थान आता है।
- राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम के अनुसार सूची में 12 जनजातियों को शामिल किया गया है।

जनजाति की विशेषताएं.

1. एक निश्चित भू–भाग में निवास करते हैं।
2. पर्वतों, जंगलों में विशिष्ट प्रकार के आवास बनाते हैं।
3. विशिष्ट अर्थव्यवस्थाः– खाद्य संग्राहक, झूम कृषि और शिकार आधाारित आदि।
4. इनका एक विशिष्ट धर्म होता है (टोटम)।
5. विशिष्ट भाषा, बोली, संस्कृति पायी जाती है।
6. प्रत्येक जनजाति का विशिष्ट नाम होता है।
7. जनजाति अन्तःविवाही समूह होते हैं।
8. विशिष्ट, सरल, राजनीतिक संगठन होता है।
9. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समुदाय होते हैं।
10. उत्पादन के साधनों पर सबका समान अधिकार होता है।
11. समाज की मुख्यधरा से कम जुड़ाव पाया जाता है।
12. अंधविश्वास, जादू, टोने, टोटकों का अधिक प्रचलन पाया जाता है।
13. देवी या शक्ति पूजा का अधिक प्रचलन पाया जाता है।
14. लैंगिक समानता पायी जाती है जो कि अच्छे लिंगानुपात से भी साबित होता है।
15. साज–श्रृंगार के प्रति विशिष्ट आकर्षण होता है।
16. प्रकृति के प्रति विशिष्ट संरक्षणवादी अनुकूलन पाया जाता है।

जनजाति की समस्याएं.

1. उपजाऊ जमीन का अभाव।
2. जल, जंगल, जमीन पर दिकुओं (बाहरी लोगों) द्वारा जबरदस्ती कब्जा करना।
3. विकास योजनाओं के कारण बलपूर्वक विस्थापन।
4. अशिक्षा का उच्च स्तर (59% साक्षरता)।
5. निर्धनता की अतिव्यापकता।
6. ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर।
7. बंधक मजदूर के रूप में कार्य करने की मजबूरी।

8. बेरोजगारी की समस्या।
9. नशे की लत।
10. प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान।
11. स्वास्थ्य संबंधित मानकों पर निम्न प्रदर्शन उच्च मातृत्व व शिशु मृत्यु दर।
12. स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल जैसी भौतिक सुविधाओं का अभाव।
13. आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ जनजातियों तक सीमित रहना।
14. समाज की मुख्यधारा से कटाव।
15. जागरूकता का अभाव।
16. जीवन का निम्न स्तर।
17. राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है।

जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 15 – राज्य धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
2. अनुच्छेद 15 (4) विशिष्ट वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान।
3. अनुच्छेद 17–.अस्पृश्यता का अंत।
4. अनुच्छेद 19 – व्यवसाय अपनाने की स्वतन्त्रता ।
5. अनुच्छेद 25 – सार्वजनिक, धार्मिक स्थल सभी जातियों के लिए सुगम करवाना।
6. अनुच्छेद 29 – शिक्षण संस्थाओं से संबंधित स्वतंत्रता।
7. अनुच्छेद 30 – भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण।
8. अनुच्छेद 46 – राज्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
9. अनुच्छेद 244 – कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार।
10. पांचवी अनुसूची– जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधान।
11. छठी अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातिय समुदायों के लिए विशिष्ट प्रावधान।
12. 11वीं–12वीं अनुसूची– पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण।
13. अनुच्छेद 275 – केन्द्र द्वारा राज्यों को जनजाति कल्याण हेतु विशेष वित्त आवंटन।
14. अनुच्छेद 330–332 – लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनावों में ST के लिए आरक्षण।
15. अनुच्छेद 335 – सरकारी नौकरियों के लिए ST के स्थान आरक्षित।
16. अनुच्छेद 338 (A) – अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधन।
17. अनुच्छेद 146 व 338 –राष्ट्रपति द्वारा ST के लिए विशिष्ट अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था।

18. अनुच्छेद 342– राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श के पश्चात किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है।
19. अनुच्छेद 350 (B)- राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ती।
20. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006.
21. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996.

जनजातियों का विकास मॉडल

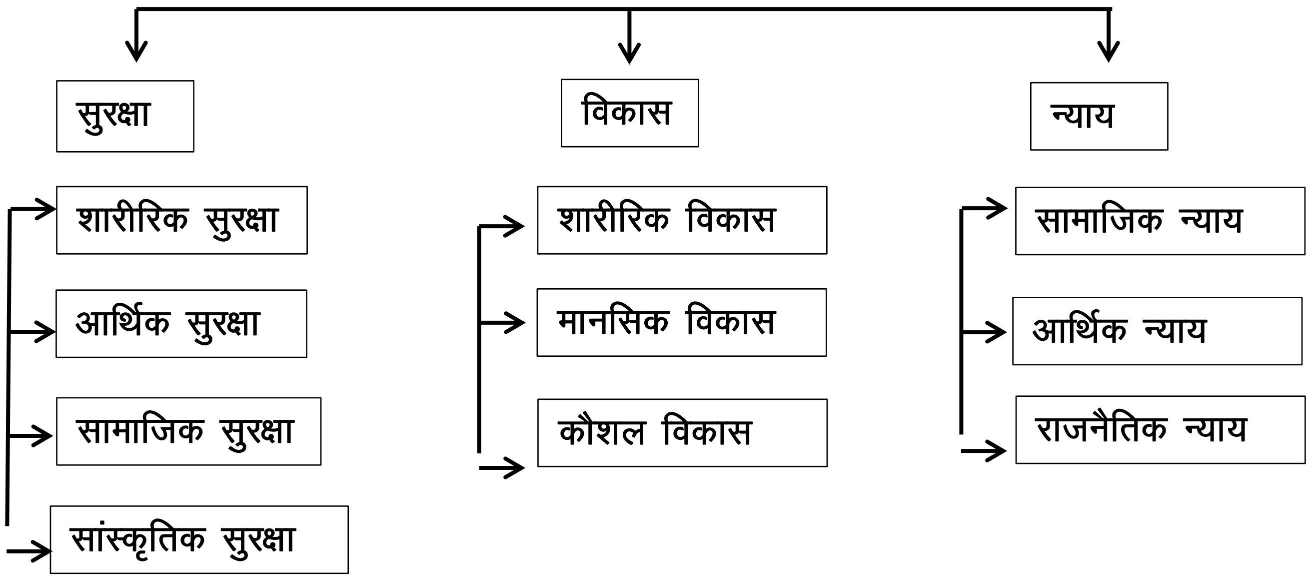

भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं –

1. वनबंधु कल्याण योजना।
2. जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रावृत्ति।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।
4. छात्रावास के हेतु योजना।
5. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ।
6. स्टैड अप इंडिया योजना।
7. प्रधानमंत्री जनधन योजना।
8. प्रधनमंत्री कौशल विकास योजना।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना।
10. मनरेगा।
11. प्रधानमंत्री वनधन योजना।
12. ट्राईफूड योजना।

13. लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

राजस्थान सरकार की योजना

1. बहुउददेशीय जनजातीय विकास खण्ड की स्थापना 1955 में की गई।
2. मोडीफाइड एरिया डवलपमेंट एप्रोच (MADA)- 18 जिलो कें 44 खण्डों में लागू की गई।
3. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।
4. जनजाति विद्यार्थियों को रिसर्च फेलोशिप।
5. सहरिया महिला नर्सिंग प्रशिक्षण योजना।
6. कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना।
7. 20 सूत्री कार्यक्रम।
8. वनवासी आदिवासी सशक्तिकरण योजना, 2006।
9. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना।

विभिन्न आयोग

1. एल्विन कमेटी–1959
2. ढेबर आयोग–1960
3. शीलू एओ समिति–1966
4. भूरिया आयोग–2002
5. बंदोपाध्याय समिति–2006
6. प्रो. वर्जीनियस शाशा समिति–2013

विभिन्न नीतियाँ

1. जवाहरलाल नेहरू ने जनजाति कल्याण हेतु एकीकरण नीति (आरक्षण व विकास) पर बल दिया।
2. जी.एस. घुर्ये– 'आत्मसात की नीति' पर ध्यान देते हैं।
3. वेरियर एल्विन ने 'ट्राइबल नेशनल पार्क नीति' (अलग–थलग रखना) पर बल दिया। इनके मार्गदर्शक सिद्धान्त को 'जनजातीय पंचशील कहा जाता है।

जनजातिय पंचशील के प्रावधान

1. जनजातियों को अपनी बुद्धि व चेतना के अनुरूप विकास करने देना।
2. भूमि और वन पर जनजातीय लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
3. प्रशासन की जिम्मेदारी स्वयं जनजातीय लोगों को देना।
4. जनजाति क्षेत्रों पर अतिप्रशासन नहीं होना चाहिए।
5. जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)-

1. जनजातीय कार्यमंत्रालय द्वारा 1987 में गठन किया गया।
2. यह जनजाति हेतु नोडल एजेंसी हैं।

3. जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना वाले कार्य–

   - 1999 नई दिल्ली में ट्राइब्स इण्डिया रिटेल आउटलेट खोला
   - वनधन योजना (संकल्प से सिद्धि)
   - ट्राई फूड योजना
   - टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम
   - गाँव एवं डिजिटल कनेक्ट पहल

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

- 1973 में ढेबर आयोग की सिफारिश पर कम विकसित जनजातियों को एक अलग श्रेणी ''आदिम जनजातीय समूह'' (Primitive Tribal Groups-PTGs) के रूप में वर्गीकृत किया।
- 2006 में भारत सरकार ने PTGs का नाम बदलकर PVTGs कर दिया।

PVTGs की विषेषताएं

- अलगाव की स्थिति
- साक्षरता का निम्न स्तर
- स्थिर या घटती जनसंख्या
- लिखित भाषा, लिपि का अभाव
- शिकार, भोजन संग्रहण और स्थानान्तरित कृषि आधारित निर्वाह अर्थव्यवस्था

वर्तमान स्थिति

- 1975 में सरकार ने 52 समूहों को PVTG का दर्जा दिया।
- वर्तमान में 705 जनजातियों में से 75 को PVTGs में शामिल किया गया है।
- ये PVTG देश के 18 राज्यों और 1 संघ राज्य (अण्डमान–निकोबार) में निवास करते है।
- सबसे ज्यादा PVTGs उड़ीसा (13) में है।
- अण्डमान–निकोबार में 5 PVTG's है, जिनके नाम इस प्रकार है– ग्रेट अण्डमानीज, जारवा, ओंग, सेंटीनलीज, शोभपेन।
- देष में PVTG's को कुल जनसंख्या लगभग 27.06 लाख है।
- 50,000 से ज्यादा आबादी वाली 12 PVTG है।
- राजस्थान में एक मात्र PVTG सहरिया है।
- PVTG में सर्वाधिक आबादी सहरिया (4.50 लाख) की है।
- सेंटिनलीज और अंडमानी की जनसंख्या क्रमशः 39 और 43 मात्र है।

PVTG के लिए सरकारी योजनाएं

- वनधन योजना की तर्ज पर राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार ''संरक्षण सह विकास'' (Conservation cum- Development) योजनाएं प्रस्तुत करती है।
- इन योजनाओं के लिए राज्यों को 100% केन्द्रीय अनुदान मिलता है।
- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि पर अधिकार
- ट्राईफेड के माध्यम से रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना।
- मनरेगा के तहत रोजगार।
- प्राथमिकता के आधार पर खाद्य सुरक्षा।
- राजस्थान में सहरिया महिला नर्सिंग सहायता योजना।

9. Westernisation (पश्चिमीकरण)

- संस्कृतिकरण की तरह पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारतीय व्यवस्था में कुछ क्रांतिकारी और स्थायी परिवर्तन हुए।
- अंग्रेज अपने साथ नई तकनीक, नये ज्ञान, नये विश्वास, नये मूल्य और नये संस्थान लेकर आए जिससे भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
- M.N. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का संदर्भ भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्षों के औपनिवेशक शासन के परिणामस्वरूप हुए बदलावों से है।
- योगेन्द्र सिंह के अनुसार–मानववाद व बुद्धिवाद पर जोर देना पश्चिमीकरण है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।
- पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी मूल्य, पश्चिमी विचारधारा और पश्चिमी जीवनशैली को अपनाता है।

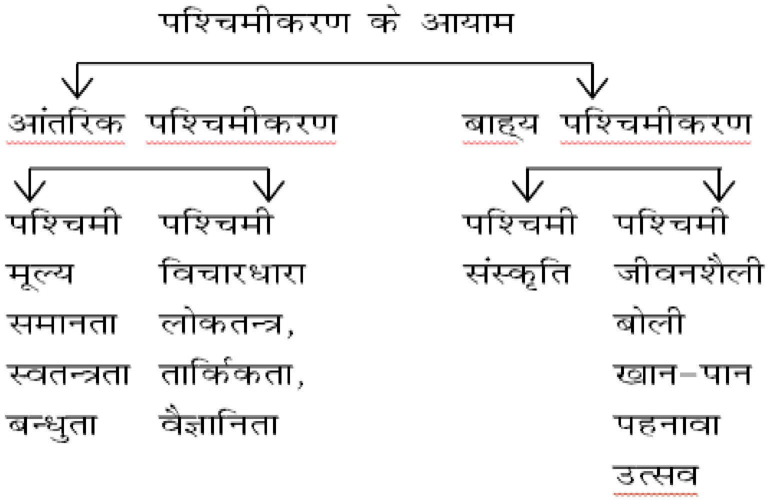

पश्चिमीकरण की विशेषताएं –

प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं बतायी है–

1. पश्चिमीकरण भारत में अंग्रेजों द्वारा आयातित एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन है।
2. पश्चिमीकरण ने भारतीय जन–जीवन के विविध पक्षों को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है।
3. पश्चिमीकरण एक व्यापक, बहुस्तरीय अवधारणा है।
4. व्यक्ति को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करता है।
5. पश्चिमीकरण नैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ अवधारणा है इसका प्रयोग अच्छे–बुरे के रूप में न होकर परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है।
6. पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी पर समान रूप से नहीं पड़ता है।
7. पश्चिमीकरण एक जटिल अवधारणा है जिसका आंकलन करना कठिन है।
8. पश्चिमीकरण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक पक्ष को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित करता है उसी अवधि में उसके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष इससे अप्रभावित रहता है।

पश्चिमीकरण का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभाव

- पश्चिमीकरण ने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मूल्य की अनुभूति करवाई।
- इसने राष्ट्रीय नेताओं को जे.एस.मिल, रूसो, वोल्टेयर, स्पेंसर और बर्क आदि जैसे विचारकों के दर्शन से परिचित कराया तथा बुद्धिजीवियों को नये तर्कों से परिचित करवाया।
- उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, अमेरिकी क्रांतियों के कारणों और प्रभावों को समझा।
- इस कारण उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश राज से लड़ाई लड़ी।

पश्चिमीकरण ने ज्ञान के द्वार खोले

- आधुनिक शिक्षा ने ज्ञान को सुलभ बनाया। मध्य युग के पुनर्जागरण आंदोलन के बाद यूरोप में ज्ञान का विकास हुआ, इसने भारतीय बुद्धिजीवियों के मानसिक क्षैतिज का आधार बढ़ाया।
- सभी के लिए शिक्षा—उन्नीसवीं सदी के मध्य के दौरान भारत में ब्रिटिश सरकार ने जाति या पंथ के विभाजन के विरूद्ध भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए।
- फिर भी आम जनता में से कम लोग ही औपचारिक आधुनिक शिक्षा का लाभ उठा सके।
- उस समय प्रचलित कुप्रथाओं— अर्थात् अस्पृश्यता और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि को प्रकाश में लाया गया।
- समाज सुधारकों ने बुराइयों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों पर ध्यान आकर्षित किया।
- उन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के लिए उपाय भी बताये।
- बुद्धिजीवियों ने एक खंडित, गरीबी से त्रस्त, अंधविश्वासी, कमजोर, उदासीन, पिछड़े और अंतर्मुखी समाज में से एक आधुनिक, खुले, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, और शक्तिशाली भारत के निर्माण की जिम्मेदारी ली।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, सती प्रथा और दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
- कन्या भ्रूण हत्या में काफी हद तक कमी आई है।

पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव

1. **सामाजिक क्षेत्र :–** जाति आधारित भेदभाव कम हुए।
    - सामाजिक बुराईयों को कम किया (सती प्रथा, बालविवाह आदि)।
    - समाज में समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य स्थापित हुए।
    - औपचारिक मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई।
2. **राजनीतिक क्षेत्र :–**
    - कानून का शासन
    - शक्ति का पृथक्करण
    - शक्ति का विभाजन
3. **आर्थिक क्षेत्र :–**
    - औद्योगिकीकरण
    - नगरीकरण
    - तकनीकीकरण

4. कला व संस्कृति :–

- रोमन और गोथिक शैली का विकास।
- आधुनिक चित्रकला का विकास (पटना चित्रकला)।

5. धार्मिक क्षेत्र :–

- धर्म में तार्किकता।
- धार्मिक सुधार आन्दोलन।

पश्चिमीकरण के नकारात्मक प्रभाव

- पश्चिमीकरण ने सांस्कृतिक विखण्डन, सांस्कृतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक उपनिवेश और सांस्कृतिक गुलामी को स्थापित किया।
- पश्चिमीकरण ने व्यक्तिवाद, भौतिकवाद और उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन दिया। इससे भारतीय समाज में सामूहिक चेतना में तेजी से गिरावट हुई।
- पश्चिमीकरण ने मानव को भौतिकवादी बना दिया जिससे पर्यावरण निम्नीकरण (जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण) को बढ़ाया।
- निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से भारत में आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई जिससे सामाजिक सद्‌भाव कम हुआ।
- कम होते सामाजिक सद्‌भाव के परिणाम – नक्सलवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि।
- पश्चिमीकरण ने परिवार एवं विवाह को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

10. Sanskritisation (संस्कृतिकरण)

- संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहले प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री प्रो. एम.एन. श्रीनिवास ने दी।
- उन्होंने भारतीय समाज की पारंपरिक जाति संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन करने के लिए अपनी पुस्तक ''दक्षिण भारत के कूर्गों के बीच धर्म और समाज'' में संस्कृतिकरण की अवधारणा बताई।
- ''संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निचली जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपने रीति–रिवाजों, विचारधाराओं और जीवन के तरीके को उच्च जाति या द्विज जाति के अनुकूल बदलते है।''
- संस्कृतिकरण की अवधारणा से पहले यह माना जाता था कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित एक कठोर व्यवस्था है।
- जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं हैं इस तथ्य की पुष्टि समाजशास्त्री मजूमदार और मदन ने की है।
  - उन्होंने कहा कि ''जाति एक बंद वर्ग है''।
- एम.एन.श्रीनिवास ने देखा कि जाति एक लचीली व्यवस्था है, इस व्यवस्था में गतिशीलता संभव है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित रहे।

संस्कृतिकरण के उदाहरण

1. विश्वकर्मा समाज अर्थात जागिंड़ों द्वारा 'शर्मा' कुलनाम/उपनाम का प्रयोग।
2. भील, संथाल, गोंड जनजातियों का हिन्दूओं में सम्मिलित होना।
3. शकों, कुषाणों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का हिन्दूओं में शामिल होना।

प्रबल जाति/प्रभुजाति–

MN श्रीनिवास के अनुसार– किसी गांव में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली जाति जिसकी कर्मकाण्डीय स्थिति उच्च हो, प्रभुजाति कहलाती है।

- इस जाति का परम्परागत रूप से जातीय श्रेणी में उच्च होना आवश्यक नहीं है।
- किसी जाति की जनसंख्या में अधिकता, भूमि पर अत्यधिक अधिकार, शिक्षा तथा सांस्कृतिक प्रस्थिति जैसे कारण भी उस जाति को प्रबल जाति का दर्जा दिलवा सकते हैं।
- उदाहरण :– गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठा आदि।

सन्दर्भ समूह

- ऐसा समूह जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है लेकिन बनना चाहता है, संदर्भ समूह कहलाता है।
- अग्रिम समाजीकरण– मर्टन के अनुसार, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैर–समूह सदस्य उस समूह के मूल्यों और मानकों को अपनाना सीखते हैं, जिसमें वे शामिल होने की आकांक्षा रखते हैं।

संस्कृतिकरण की विशेषताएं

1. यह एक लम्बी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है।
2. संस्कृतिकरण एक गतिशील अवधारणा है।
3. संस्कृतिकरण व्यक्तिगत प्रक्रिया न होकर सामूहिक क्रिया है।
4. संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है।

5. संस्कृतिकरण में निम्न जातियाँ ब्राह्मणों के साथ–साथ अन्य प्रभुजातियों के व्यवहार का अनुकरण करती है।
6. संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। निम्न जाति उच्च प्रस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है जबकि उच्च जातियाँ महामारी से बचाव के लिए स्थानीय देवी–देवताओं की पूजा करने लगती है।
7. इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते अर्थात सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।
8. संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिन्दू जाति तक सीमित न होकर जनजातियों में भी पाई जाती है।

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कारक –

1. प्राचीन काल में वेदाध्ययन और मंत्रोच्चारण पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, लेकिन वर्तमान में यह सभी वर्णों–जातियों के लिए सुलभ है जिससे संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला है।
2. संचार व यातायात साधनों के विकास के कारण सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई।
3. संस्तरण में ऊपर उठने की आकांक्षा।
4. संविधान के प्रावधानों द्वारा निम्न जातियों को संरक्षण।
5. नगरीकरण में वृद्धि।
6. आर्थिक स्थिति में सुधार तथा औद्योगीकीकरण।
7. शिक्षा, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, अनुलोम विवाह के कारण भी संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला है।

संस्कृतिकरण की उपयोगिता –

1. यह भारतीय समाज की संरचना व संस्तरण में होने वाले परिवर्तनों को समझाने का प्रयास करती है।
2. यह जनजातियों का हिन्दूकरण कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती है।
3. यह निम्नजातियों को अपनी पदसोपानिक स्थिति में परिवर्तन का अवसर प्रदान करती है।
4. यह उच्च जातियों की सर्वोच्चता पर प्रहार करती है।
5. संस्कृतिकरण जातीय भेदभाव को कम करने का कार्य करती है।
6. संस्कृतिकरण सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता को दर्शाती है।

संस्कृतिकरण के प्रभाव :–

I. सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण

II. आर्थिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण

III. धार्मिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण

IV. जीवन शैली में संस्कृतिकरण

I. सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण

- सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से संस्कृतिकरण का प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- निम्न जाति के व्यक्तियों का झुकाव संस्कृतिकरण की ओर होता है क्योंकि इस तरह वे अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा कर सकते हैं और जाति पदानुक्रम में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

II. आर्थिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण

- स्वच्छ व्यवसाय को अपनाना आर्थिक संस्कृतिकरण से संबंधित है।
- निम्न जाति के लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अस्पृशय समझे जाने वाले कार्य करना छोड़ दिया है।

III. धार्मिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण

- धार्मिक क्षेत्र में भी संस्कृतिकरण देखा जा सकता है।
- ब्राह्मणों की तरह कई निचली जातियों के लोग पवित्र धागा पहनते हैं वे नियमित रूप से अपने मंदिर भी जाते हैं, आरती और भजन करते हैं।
- उन्होंने निषिद्ध भोजन और अकर्मण्य समारोह छोड़ दिए हैं।

IV. जीवन शैली में संस्कृतिकरण

- उच्च जाति की तरह वे भी अपने लिए पक्के मकान बनवाते हैं अब वे ऊंची जाति के साथ खाट पर बिना किसी डर या झिझक के बैठते हैं।
- वे अपने घरों को भी साफ रखते हैं और ऊंची जातियों के समान कपड़े पहनते हैं।

संस्कृतिकरण की अवधरणा कई सीमाओं से ग्रस्त हैं –

- संस्कृतिकरण एक सीमित अवधारण हैः यह अवधारणा सभी सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- यह केवल सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता की व्याख्या करती है और वो भी बहुत सीमित तरीके से।
- यह एक प्रक्रिया है जो लघु परंपरा तक ही सीमित है।
- आज सत्ता अधिग्रहण और राजनीतिक भागीदारी जातीय स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- संस्कृतिकरण से अंतर–जातीय शत्रुता हो सकती हैं प्रभुजाति निम्न जाति के समूहों को अपने स्थान तक नहीं पहुंचने देगी।

इन सभी आलोचनओं के बावजूद, हम संस्कृतिकरण की अवधारण को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने और विशेष रूप से विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता को व्यापक रूप से समझने में मददगार है।

असंस्कृतीकरण

- यह संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया है।
- इस अवधारणा में, समाज की उच्च और प्रभुजाति जाति अपने स्वयं के रीति–रिवाजों को छोड़कर निम्न जाति व जनजाति (तामसिग गुण) की संस्कृति और अनुष्ठानों को अपनाती हैं जैसे मांसाहारी भोजन करना, शराब का सेवन (मैथिली और कश्मीरी ब्राह्मण)।
- आज उच्च जातियां भौतिक लाभ जैसे–आरक्षण प्राप्त करने के लिए खुद को पिछड़ा हुआ दिखाती है।
  - हरियाणा के जाट और गुजरात के पाटीदार।
- **इसके दो प्रकार है–**
  1. यदि कोई उच्च जाति अपने से निम्न जाति की जीवनशैली व कर्मकाण्डों का अनुकरण करने लगती है तो यह विसंस्कृतिकरण कहलाता है।
  2. जब उच्च जातियाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को छोड़कर पाश्चात्य जीवनशैली को अपनाने लगे तो यह विसंस्कृतिकरण कहलाता है।

पुनर्संस्कृतिकरण

योगेन्द्र सिंह के अनुसार पश्चिमी शिक्षा, शासन एवं मूल्यों के प्रभावस्वरूप जागृति आने पर भारतीय लोगों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का त्याग कर पुनः भारतीय संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया, पुनर्संस्कृतिकरण कहलाता है।

11. समाजशास्त्र विचारों का विकास

- समाजशास्त्र फ्रेंच शब्द 'सोशियोलॉजी' से लिया गया है। जिसका अर्थ है, समाज और लोगो के बारें में अध्ययन।
- फांसीसी विचारक ऑगस्टस कॉम्पटे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है।
- समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं (परिवार, विवाह, धर्म) समूहों, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियन्त्रण, प्रस्थिति एवं भूमिका इत्यादि का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण करता है।
- किग्सलें डेविस के अनुसार :– ''समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है।''
- जॉनसन के अनसुार– समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है।
- क्रिया + प्रतिक्रिया = अन्तक्रिया
- अन्तक्रिया + उद्देश्य + स्थायित्व = सामाजिक संबंध

समाजशास्त्र के उद्भव के कारण–

1. पुनर्जागरण व धर्मसुधार आन्दोलन।
2. इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति की शुरूआत।
3. 1789 की फ्रांसीसी क्रांति व मध्यम वर्ग का उदय।
4. भौगोलिक व वैज्ञानिक खोजे।
5. राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की स्थापना।
6. स्वतन्त्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों का प्रभाव।
7. शहरीकरण व औद्योगिकीकरण के कारण नवीन समस्याओं की उत्पत्ति।

भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास–

- प्राचीन भारत के रामायण, महाभारत, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है।
- इन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रमों, विवाह संस्कार की जानकारी मिलती है।
- परन्तु ये ग्रंथ स्पष्टता तथा समाजशास्त्र को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए थे।
- भारत में आधुनिक स्वरूप में समाजशास्त्र की शुरूआत ब्रिटिश विद्वानों द्वारा की गई।
- ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज का नकारात्मक स्वरूप व पिछड़ापन दर्शाने के लिए इस विषय पर लेख लिखे।
- इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय विद्वानों ने इंडोलॉजिकल विचारधारा से भारतीय समाज का सकारात्मक वर्णन प्रस्तुत किया।
- भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए पश्चिमीकरण, औद्योगीकीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण जैसे कारक सहयोगी रहे।
- 1784 में विलियम जोंस ने एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर समाजशास्त्र की नीव रखी।

- इस संस्था का उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर औपनिवेशिक सरकार की सहायता करना था।
- इसी समय जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने भारतीय ग्रंथों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया।
- 1871 में हुई जनगणना ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया।
- 1914 में मुम्बई विश्वविद्यालय में ऐच्छिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ।
- 1919 में पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई।
- 1917 में कलकता विश्वविद्यालय में बृजेन्द्र नाथ सिंह के अधीन समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ हुआ।
- 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में आर. के. मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ।
- आर. के. मुखर्जी को समाजशास्त्र का प्रथम भारतीय विभागाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है।
- 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरूआत हुई।
- 1939 में इरावती कर्वे के नेतृत्व में पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई।
- टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई ने भी समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया।
- राजस्थान में टी. के. एन. उन्नीथान के प्रयासों से राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोशिएसन की स्थापना 1973 में हुई ।

भारत में समाजशास्त्र का विकास तीन विचारधाराओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

1. **प्रथम विचारधारा :–** इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार इस नवीन विज्ञान को विकसित करने के लिए पाश्चात्य अध्ययन पद्धति व समाजशास्त्रीय सिद्धातों की सहायता लेना आवश्यक है। हट्टन और मजूमदार ने भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया।
    - इरावती कर्वे और K.M. कापड़िया ने विवाह, परिवार और नातेदारी का अध्ययन इसी विचारधारा के आधार पर किया।
    - M.N. श्रीनिवास ने विभिन्न समाजों के धार्मिक विश्वासों का अध्ययन किया।
    - जी. एस घुरिये ने पश्चिमी व भारतीय समाजों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया।
    - इस विचारधारा के अन्तर्गत भारतीय ग्रामों का अध्ययन किया गया।
2. **द्वितीय विचारधारा :–** इस विचारधारा के समर्थकों ने पाश्चात्य की बजाय परम्परागत भारतीय सिद्धान्तों के आधार पर समाजशास्त्र के विकास को आगे बढ़ाया।
    - इनके अनुसार भारतीय समाज का जब कभी विघटन हुआ तो उसके अन्दर से ही नवीन संस्कृति का जन्म हुआ।
    - पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण ने भारतीय समाज को दूषित कर दिया है।
    - इस विचारधारा में परम्परागत सिद्धान्तों पर अधिक जोर दिये जाने के कारण वैज्ञानिकता का अभाव चिन्ता का विषय हैं।
    - इस विचारधारा के समर्थक – कुमारास्वामी, A. K. सरन, प्रो. नगेन्द्र, प्रो. नर्मदेश्वर प्रसाद, भगवानदास आदि।

3. तृतीय विचारधारा :– इसके तहत पाश्चात्य व भारतीय सिद्धान्तों में समन्वय स्थापित कर समाजशास्त्र के विकास को आगे बढ़ाया।

- समर्थक – डॉ राधाकमल मुखजी, प्रो D. P. मुखर्जी, Dr. R. L. सक्सेना, प्रो. K. L. शर्मा आदि।

समाजशास्त्रीय शोध पत्रिकाएँ

1. Indian journal of sociology (1920)- (प्रथम शोध पत्रिका) :– एस. सी. दुबे
2. Eastern Anthropology (1947). आर. के. मुखर्जी
3. Contribution of sociology- डी. एफ पोकॉक एवं लुई डयूमा
4. Man of India- एस. सी. रॉय

समाजशास्त्र के विकास में भारतीय समाजशास्त्रियों का योगदान–

1. गोविन्द सदाशिव घुरिये –

- जन्म :– 1893, महाराष्ट्र
- इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है।
- 1924 में मुम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष बने।
- ये सभ्यता के विकास के अध्ययन के विशेषज्ञ थे।
- घुरिये ने धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हुए भारतीय संस्कृति को धार्मिक चेतना की बुनियाद पर निर्मित समाज कहा।
- इन्होंने वेदों का समर्थन किया।
- इनके लेखन का आधार संस्कृत भाषा रही।

जी.एस. घुये द्वारा पुस्तकें –

1. संस्कृतत और समाज
2. वैदिक भारत
3. भारतीय साधु
4. अनुसूचित जनजाति
5. शहर और सभ्यता

2. एम. एन. श्रीनिवास (मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास)–

- जन्म– 1916, मैसूर में।
- इन्होंने बड़ोदरा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की।
- श्रीनिवास ने छोटे समुदाय और संगठनों के सूक्ष्म अध्ययन पर जोर दिया।
- उन्होंने The Remembered village पुस्तक में कर्नाटक के रामपुरा गांव में समाज का अध्ययन किया।
- श्रीनिवास सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के विश्लेषण के विशेषज्ञ थे।
- इन्होंने संस्कृतिकरण, पाश्चात्यीकरण, प्रभूजाति की अवधारणा दी।

M. N. श्रीनिवास द्वारा पुस्तकें –

1. दक्षिण भारत के कूर्गों के बीच धर्म और समाज।
2. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।
3. मैसूर में विवाह और परिवार।
4. भारत :– सामाजिक संरचना।

3. राधाकमल मुखर्जी (आर. के. मुखर्जी)

- जन्म– बंगाल,1889।
- 1921 लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए।
- इनके अनुसार प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं इन्हीं आदर्शों के आधार पर उस समाज का मूल्यांकान किया जाना चाहिए।
- मुखर्जी ने मूल्यों को समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य माना है।

पुस्तकें :– 1. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 2. भारतीय श्रमिक वर्ग। 3. क्षेत्रीय समाजशास्त्र।

4. D. P. मुखर्जी (धुर्जटि प्रसाद मुखर्जी)–

- वह एक मार्क्सवादी विचारक थे जिनका जन्म 1894 में बंगाल में हुआ था।
- भारतीय परम्परा के समर्थक व पाश्चात्य विचारधारा के विरोथी थे।
- मुखर्जी के अनुसार समाज का विकास द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया से होता है।
- परम्पराएं कभी नहीं मरती, केवल तीव्र आर्थिक परिवर्तन इन्हें नष्ट कर सकते हैं।

पुस्तकें – 1. आधुनिक भारतीय संस्कृति 2. मूल अवधारणा 3. भारतीय युवाओं की समस्या

5. इरावती कर्वे– (जन्म – म्यांमार , 1905) (मृत्यु–पुणे)

- फर्ग्युसन कॉलेज पूना से शिक्षा प्राप्त की।
- इन्होंने पाश्चात्य सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया।
- इनका विवाह दिनकर ढ़ोडो कर्वे से हुआ।

पुस्तकें :– 1. युगांत 2. गंगाजल 3. परी पूर्ति

12. जाति व्यवस्था

- जाति शब्द का जन्म स्पेनिश/ पुर्तगिज शब्द कास्ता से हुआ है जिसका अर्थ – नस्ल या जन्मजात गुणों से है।
- जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार है। इरावती कर्वे कहते है– अगर हमें भारतीय संस्कृति को समझना है तो जाति और धर्म का अध्ययन नितांत आवश्यक है।

जाति व्यवस्था क्या हैं?

- जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की सबसे पुरानी व्यवस्था है।
- जाति एक संरचनात्मक के साथ सांस्कृतिक अवधारणा भी है।

जाति

संरचना संस्कृति

- यह संरचनात्मक अवधारणा है जिसमें जन्म आधारित समाज का खण्डातत्मक विभाजन है।
- यह पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा पर आधारित सांस्कृतिक अवधारणा है।

जाति व्यवस्था का उदय सिद्धान्त

1. नस्ल सिंद्धात
2. राजनीतिक सिद्धांत
3. धार्मिक सिद्धांत

1. नस्ल सिंद्धात

- 'मजूमदार के अनुसार':– आर्यो के आगमन के बाद भारत में जाति व्यवस्था की शुरूआत हुई। जाति व्यवस्था की शुरूआत नस्लीय श्रेष्ठता की भावना के कारण हुआ।
- G.S. घूरिये के अनुसार जाति इण्डो–आर्यन संस्कृति का बच्चा है।

2. राजनीतिक सिद्धांत

- जाति आर्यो (ब्राह्मण) के द्वारा खोजा गया चतुर उपकरण है जिससे वह स्वंय को समाज के उच्चतम पायदान पर रख सकें।

3. धार्मिक सिद्धांत

- जाति ईश्वरीय निर्मित है। जाति को सृष्टि निर्माता ब्रह्मा ने बनाया।

जाति व्यवस्था की विशेषताएँ

संरचनात्मक		सांस्कृतिक	
1.	जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन है। जहाँ जन्म के आधार पर सदस्यों के बीच प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाते हैं।	1.	जाति व्यवस्था पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा पर आधारित है।

2.	जाति व्यवस्था सामाजिक एवं धार्मिक पदक्रम है जहाँ कुछ जातियों को विशेषाधिकार और कुछ जातियों को निर्योग्यताए आरोपित की जाती है। 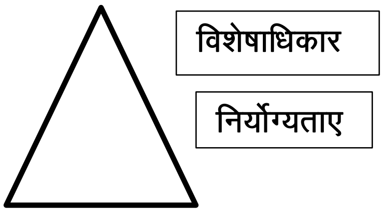 	2.	प्रत्येक जाति की विशिष्ट भाषा, बोली, खान–पान, पहनावा, आभूषण संस्कृति होती है।
3.	जाति एक अन्तः विवाही समूह है।		
4.	जाति में पेशे जन्मजात प्रतिबन्धित एवं निश्चित होते है।		
5.	जातिव्यवस्था प्रदत प्रस्थिति पर आधारित है।		

जाति व्यवस्था के महत्वः–

1. जाति व्यवस्था ने राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत किया।
2. जाति व्यवस्था के कारण भारत में श्रम विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला।
3. समाज में सहयोग और सहअस्तित्व की भावना का विकास हुआ।
4. समाज में उत्तरदायित्व और कर्तव्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाया।
5. सदस्यों को सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान की ।
6. सदस्यों की सामाजिक पहचान सुनिश्चित किया।

जाति व्यवस्था के अवगुण

- जाति व्यवस्था अलोकतांत्रिक व्यवस्था है यह लोकतांत्रिक मूल्य–स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विरूद्ध है।
- जाति व्यवस्था सामाजिक प्रगति में बाधक है क्योंकि यह सम्पूर्ण समाज को बाँटती है न कि समाज को जोड़ती है।
- जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता में बाधक है।
- जाति व्यवस्था व्यक्तिगत विकास में बाधक है।
- जाति व्यवस्था आर्थिक विकास में बाधक है।
- जाति व्यवस्था सांस्कृतिक विकास में बाधक है।
- जाति व्यवस्था में कई सामाजिक कुरूतियों को जन्म दिया। जैसेः– जातिवाद की भावना, बालविवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता
- जाति व्यवस्था ने जातिय हिंसा और नक्सलवाद को जन्म दिया।

वर्तमान समय में जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कमजोर के साथ–साथ मजबूत भी हो रही हैं?

❖ जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है।

1. सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक संबंधों के निर्धारण में जाति की भूमिका कमजोर हुई है।
2. जाति आज व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं करती है।
3. अब जातिगत आधारित पेशा भी बहुत कमजोर हो गया है।

4. निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार की व्यवस्था में तीव्रता से गिरावट हो रही हैं।
5. जजमानी व्यवस्था कमजोर हो चुकी है।
6. पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा कमजोर हो गयी है।
7. जाति पंचायतों का स्थान ग्राम पंचायतों ने ले लिया है।

जाति व्यवस्था के कमजोर होने के पीछे के कारण

- नववेदान्तिक आन्दोलन (भक्तिवाद)
- सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन (ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, आत्मसम्मान आन्दोलन सत्य शोधक समाज (महाराष्ट्र) (ज्योतिबाफुले)
- लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था ने स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता जैसे आधुनिक मूल्यों को स्थापित किया।
- औद्योगिकरण, नगरीकरण और शहरीकरण ने योग्यता को महत्व दिया जाता है।
- आधुनिक मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था।
- सूचनाक्रांति और परिवहन क्रांति।

जाति व्यवस्था मजबूत हो रही है।

- जाति एवं राजनीति के मध्य गठजोड़ मजबूत हुआ है। (लोकतंत्र ने जाति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया)
- अन्र्तविवाही समूह के रूप में जाति आज भी विद्यमान है। आज भी अधिकांश विवाह समान जाति में ही होते है।
- जाति आधारित आरक्षण के कारण जाति की भावना मजबूत हो रही है।
- कई जाति आधारित संगठन अस्तित्व में आ गए जो अपनी जाति के प्रति सदस्यों में जातिय भावनाओं को मजबूत करते हैं।
- जातिवाद की भावना के रूप में जाति मजबूत हो रही हैं।

जातिवाद क्या है ?

- जाति अपनी जाति और उपजाति के प्रति अन्ध समूह निष्ठा है। जो अन्य जातियों के हितों की परवाह नहीं करता है और केवल अपने समूह के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक हितों को पूरा करने का प्रयास करता है।
- जातिवाद स्वस्थ सामाजिक न्याय के नियम, समानता एवं सार्वभौमिक बंधुता की अवेहेलना करता है।
- जातिवाद समाज को तोड़ने का काम/प्रयास करती है।

जाति और जजमानी व्यवस्था

- जजमानी व्यवस्था जजमान और कमीन के बीच वस्तु एवं सेवाओं के आदान–प्रदान का सामाजिक समझौता हैं।
- यह एक सकारात्मक संविदा थी जिससे समाज में अंतनिर्भरता एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ।
- वही दूसरी और यह नाकारात्मक संविदा थी क्योंकि कमीन को कभी अपनी सेवा का उचित मूल्य नहीं मिलता था।

प्रभुजाति

- प्रभुजाति की अवधारणा समाजशास्त्री एम. एन. श्री निवास ने दी।
- प्रभुजाति वो जाति है जो जाति पदक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है।

प्रभुजाति निर्धारण के 3 प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं–

1. संख्या बल,
2. आर्थिक–राजनैतिक शक्ति (भूमि)
3. जाति व्यवस्था में उच्च स्थान

13. वर्ग व्यवस्था

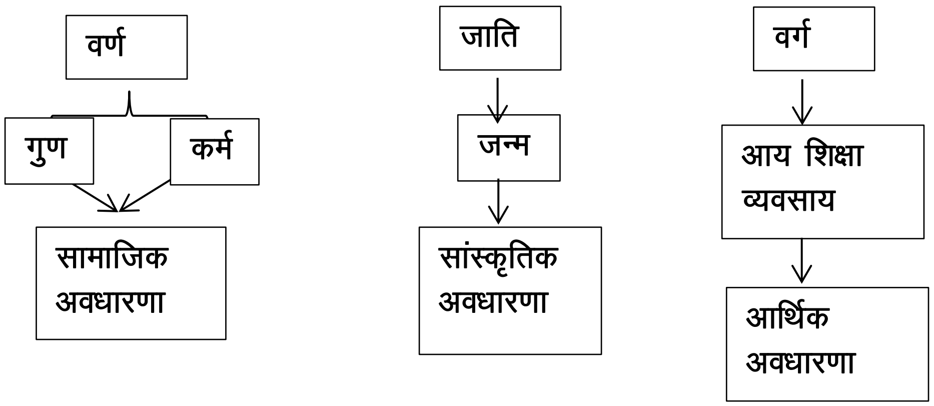

- वर्ण व्यवस्था सर्वव्यापी है, जो कि विश्व के हर समाज में पायी जाती है।
- वर्ग व्यवस्था एक आर्थिक अवधारणा है।
- शिक्षा, आय और व्यवसाय वर्ग का निर्धारण करती है।
- वर्ग व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण पिरामिण्ड की तरह होता है।

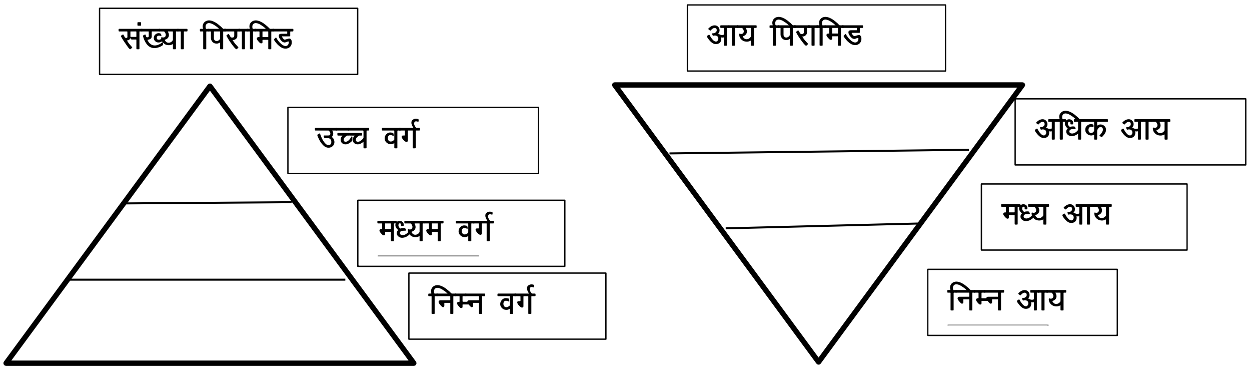

शिखर पर कुछ ही व्यक्ति होते है जो अधिकतम सम्पति पर नियंत्रण रखते है। वहीं सबसे नीचे गरीब होते है जहाँ जनसंख्या तो ज्यादा होती है लेकिन सम्पति पर नियंत्रण कम होता है।

- वर्ग एक खुली और आधुनिक व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयास से अपने वर्ग को बदल सकते है।
- प्रत्येक सामाजिक वर्ग का अपना विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट पसन्द, मूल्य एवं जीवन जीने का तरीका होता है। (फैशन, शॉपिंग खाली समय)
- पूँजीवाद ने वर्ग व्यवस्था को बढ़ाया है।

वर्ग व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण

1. औद्योगिक क्रांति
2. पूँजीवादी मूल्य

3. लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली
4. औद्योगिकरण और नगरीकरण
5. सूचना और संचार क्रांति

- कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्गों को उत्पादन के साधनों (स्वामित्व या गैर–स्वामित्व) से उनके संबंध से परिभाषित किया।
- आधुनिक पूँजीवादी समाज में पूँजीवादी और सर्वहारा दो प्रमुख वर्ग है।
- मैक्स वेबर, मार्क्स की तरह, एक और जर्मन विचारक थे, जिन्होंने समाज के वर्गीकरण में आर्थिक कारक के महत्व को देखा है।
- उन्होने वर्ग को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया है जिनके पास समान जीवन की संभावना या सामाजिक अवसर है, जैसा कि आमतौर पर आर्थिक स्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वर्ग के आयाम

आर्थिक वर्ग	धार्मिक वर्ग	राजनैतिक वर्ग	आवास आधारित वर्ग	व्यवसायी वर्ग
• उच्च वर्ग	• हिन्दू	• शासक	• ग्रामीण वर्ग	• किसान
• मध्यम वर्ग	• मुस्लिम	• प्रशासक	• शहरी वर्ग	• मजदूर
• निम्न वर्ग	• सिख	• न्यायिक		• शिक्षण
	• ईसाई	• पुलिस		• डॉक्टर
				• उद्यमी

जाति एवं वर्ग में अंतर :–

जाति	वर्ग
1. सांस्कृतिक अवधारणा	1. आर्थिक अवधारणा
2. अलोकतान्त्रिक अवधारणा	2. लोकतांत्रिक अवधारणा
3. बंद व्यवस्था	3. खुली व्यवस्था
4. प्रदत्त प्रस्थिति	4. अर्जित प्रस्थिति
5. प्रतिबंधित व्यवसाय	5. प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं
6. निर्योग्यताएँ और विशेषाधिकार	6. निर्योग्यताएँ और विशेषाधिकार अवधारणा नहीं है।

जाति और वर्ग आपस में अंतर–संबन्धित है।

निम्न जातियाँ ही निम्न वर्ग है।

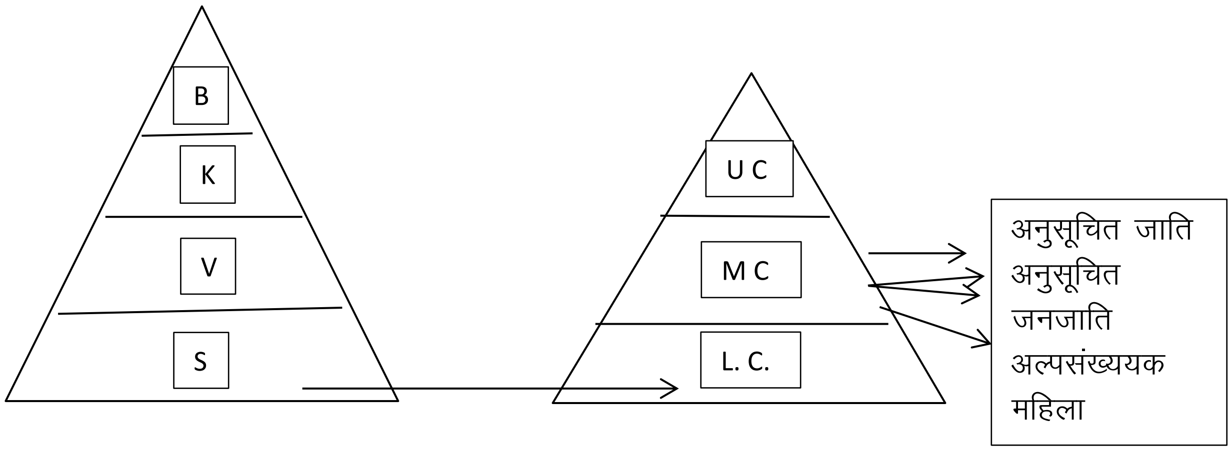

वर्ग का प्रकार्य :–

- जाति असमानता और लैंगिक असमानता को कम करता है।
- समानता और स्वतंत्रता जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देता है।
- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देता है।
- आधुनिकीकरण की जड़े गहरी करता है।
- लोकतंत्र को और जीवंत बनाता है।
- आर्थिक विकास को तीव्र करता है।

चुनौतियां

- बेरोजगारी और असतत विकास को बढ़ावा देता है।
- दिशाहीन पश्चिमीकरण को बढ़ावा देता है।
- असमानता की जड़े गहरी करता है (सामाजिक आर्थिक)
- वर्ग जरूरत को लालच में, इच्छा को आर्थिक इच्छा में बदल रहा है जिससे मानव आर्थिक मनुष्य में बदल रहा है।
- भ्रष्टाचार को और इसकी सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देता है।
- डिजिटल डिवाइड बढ़ावा देता है।
- भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद मूल्यों को बढ़ावा देता है जो नैतिक पतन का कारण है।
- पर्यावरण संकट को बढ़ावा मिला है।

14. भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण अर्थात ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो।

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति के दुरूपयोग के रूप में परिभाषित करता है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक' (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स– CPI)–2022 के अनुसार भारत भ्रष्टाचार की दृष्टि से 180 देशो में 85वें स्थान पर है। भारत का CPI स्कोर 40 है।

- रिश्वतखोरी, सत्ता का दुरूपयोग, कर्तव्य विचलन, हेरा–फेरी, भाई–भतीजावाद, पक्षपात आदि सभी भ्रष्टाचार के ही उदाहरण है।
- 2nd ARC भ्रष्टाचार को गणितीय सूत्र में परिभाषित करती है।

  भ्रष्टाचार = एकाधिकार + विवेकाधिकार – जवाबदेही
- चाणक्य – एक मछली तालाब में कब पानी पी ले पता ही नहीं चलता ठीक उसी प्रकार सरकारी अधिकारी कब सरकारी संसाधनों का निजी हित में दुरूपयोग कर ले पता ही नहीं चलता।
- भारतीय दण्ड संहिता (धारा 161) के अनुसार – कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा सके तो वह भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार के प्रकार

1. **प्रशासनिक भ्रष्टाचार** – सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं में हेर फेर करके किसी को अवैध लाभ पहुँचाना।
2. **राजनीतिक भ्रष्टाचार** – वोट खरीदने से लेकर नीति एवं कानून के निर्माण और क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है।
3. **लोक भ्रष्टाचार –** जनता की सुविधा के लिए बनाए गए संगठनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करना ही लोक भ्रष्टाचार है।
4. **वृहद भ्रष्टाचार –** उच्च अधिकारियों व राजनीतिज्ञों की प्रत्यक्ष भागीदारी से किया जाने वाला बड़ा भ्रष्टाचार।
5. **लघु भ्रष्टाचार –** निचले स्तर पर व्याप्त छोटा या फुटकर भ्रष्टाचार जो आम जनता को सीधे प्रभावित करता है।
6. **मिलिभगत भ्रष्टाचार –** रिश्वत देने व लेने वालों दोनों की सहमति से भ्रष्ट आचरण बोहरा समिति ने कॉरपोरेट्स, सरकारी अधिकारी और राजनेताओं के बीच सांठगांठ का खुलासा किया।
7. **जबरदस्ती भ्रष्टाचार** – यह कमजोर, बहिष्कृत, पीड़ित और वंचित समुदाय का शोषण करता है।
8. **अन्य** – न्यायिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार, पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार, उद्योग जगत का भ्रष्टाचार
   - CVC ने 27 प्रकार के भ्रष्टाचार की पहचान की है।

भ्रष्टाचार के क्षेत्र

1. प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में जैसे–कोयला, स्पेक्ट्रम आवंटन
2. सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में जैसे–मनरेगा, खाद्यान्न वितरण
3. मानव संसाधन प्रबंधन में जैसे–भर्ती, पदोन्नति।
4. सार्वजनिक खरीद में जैसे– सैन्य उपकरण।
5. अवसंरचना निर्माण में जैसे–सड़क, पुलिया।

भ्रष्टाचार के लक्षण या विशेषताएँ –

1. कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनैतिक कार्य
2. इसकी परिधि में राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक सभी क्षेत्र शामिल है।
3. इसमें व्यक्तिगत पक्षपात, निजी एवं स्वार्थपूर्ण भावनाएँ होती है।
4. भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने व जल्दी धन कमाने की मनोवृति होती है।
5. इसमें नकद राशि या वस्तु या सेवा माध्यम होती है।
6. भ्रष्टाचार साध्य–साधन दोनों है।

भारत के प्रमुख घोटाले

1. चारा घोटाला (1985)
2. बोफोर्स घोटाला (1987)
3. सत्यम घोटाला (2009–10)
4. 2G स्पेक्ट्रम घोटाला (2010)
5. राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला (2011)
6. IPL घोटाला (2013)

भ्रष्टाचार के कारण

1. राजनीतिक कारणः राजनीति का अपराधीकरण, चुनावों में बेहिसाब धन का उपयोग, क्रोनी कैपिट्लिज्म, राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव, लोकतांत्रिक शासन के दोष।
2. प्रशासनिक कारणः– नौकरशाही का राजनीतिकरण, औपनिवेशिक नौकरशाही, असफल प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता का अभाव, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी।
3. आर्थिक कारण :– कम वेतन मान, अनौपचारिक क्षेत्र का उच्च हिस्सा, आय असमानता, जटिल कानूनी तंत्र, कम समय में धन कमाने की प्रवृति
4. सामाजिक और नैतिक कारण– नैतिक मूल्यों का पतन, बढ़ता व्यक्तिवाद व भौतिकवाद, सामाजिक भेदभाव का शोषण, भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता, शिक्षा, जागरूकता का अभाव, मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव

भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव :–

1. राजनैतिक दुष्प्रभाव :– राष्ट्रहित को हानि, प्रशासनिक संस्थाओं, लोकतंत्र के प्रति अविश्वास, सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, राजनीति का अपराधीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होना।
2. प्रशासनिक प्रभाव :– प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि, लालफीताशाही, प्रशासनिक कुशलता में कमी।
3. सामाजिक प्रभाव :– सामाजिक असमानता का बढ़ना, सामाजिक असंतोष में वृद्धि, लोक कल्याण में कमी, सामाजिक न्याय में कमी
4. आर्थिक प्रभाव :– सरकारी कोष को हानि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विकास प्रक्रिया में बाधा, आर्थिक असमानता का बढ़ना, काले धन में वृद्धि व समानांतर अर्थव्यवस्था का विकास, विदेशी निवेश में बाधा।
5. अन्य दुष्प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, तस्करी में वृद्धि, अपराधों को प्रोत्साहन, पर्यावरण को नुकसान।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

कानूनी उपाय

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 2018 में संशोधन रिश्वत लेना, देना, दोनो ही अपराध।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA –2002
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (2003)
4. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
5. विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) – 2010
6. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम –2013
7. व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014
8. भ्रष्टाचार के खिलाफ UN सम्मेलन पर 2003 में हस्ताक्षर
9. एशिया प्रशांत के लिए ADB-OICP भ्रष्टाचार विरोधी कार्ययोजना पर हस्ताक्षर

प्रशासनिक उपाय :– ई–गवर्नेस पहल, सिंगल विंडो सिस्टम, जनधन–आधार–मोबाइल (JAM ट्रिनीटी), भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण, DBT-Direct Benifit Transfer, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल मीडिया निगरानी।

आर्थिक उपाय :– उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण (LPG), GST, विमुद्रीकरण, डिजिटलीकरण, e-way Bill, करों की दर में कमी, कानूनों का सरलीकरण।

चुनावी सुधार :– संपति को अनिवार्य घोषणा, चुनावी खर्च की सीमा, नकद चुनावी दान पर नियंत्रण (20,000 से घटाकर 2000 करना), लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण।

अन्य उपाय :– 2nd ARC, संथानत समिति की सिफारिशें लागू करना, शक्ति पृथक्करण, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना, आदर्श चुनावी आचार संहिता को मजबूती से लागू करना।

- समाज में नैतिक मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा, ई–निविदा, ई–मार्केटप्लेस, (GeM) को बढ़ावा देना, सत्यनिष्ठा संधियों को प्रोत्साहन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू करना।
- बेनामी सम्पति व लेन देन (प्रतिबंध) अधिनियम–2016, ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपति) और आयकर अधिनियम का कार्यान्वयन।

भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) अधिनियम – 2018

1988 के अधिनियम में संशोधन

- रिश्वत लेने व देने दोनों को अपराध घोषित किया गया है।
- सरकारी कर्मचारियों पर अभियोजन से पहले सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक।
- भ्रष्टाचार के मामले का 2 वर्ष में शीघ्र निपटान
- न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान।

निष्कर्ष :–

- भ्रष्टाचार फिसलन भरी ढलान है जिस पर पैर रखने से पैदें में जाना तय है।

15. Globalization / भूमण्डलीकरण / वैश्वीकरण

परिभाषा– वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर–पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण कहलाता है।

- वैश्वीकरण, भौगोलिक पुनर्विन्यास की एक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवेश को अब प्रादेशिक स्थलों, प्रादेशिक दूरियों और प्रादेशिक सीमाओं के संदर्भ में परिसीमित नहीं किया जा सकता।
- वैश्वीकरण, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के मध्य परस्पर निर्भरता, अंतरसम्बद्ध और एकीकरण में ऐसे स्तर तक वृद्धि करने की प्रक्रिया है कि विश्व के किसी एक हिस्से में घटित घटना विश्व के अन्य हिस्सों के लोगों को प्रभावित करने लगे।
- मार्शल मैक्लूहान के अनुसार मीडिया ने विश्व को एक छोटे से गांव, Global village में बदल दिया है।
- वैश्वीकरण का नारा, ''एक पृथ्वी, एक राष्ट्र, एक नागरिकता'' है।

वैश्वीकरण के चार पैरामीटर है

1. देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करके वस्तुओं के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना।
2. देशों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह के लिए वातावरण बनाना।
3. प्रौद्योगिकी का असंयोजित हस्तांतरण।
4. विश्व में श्रमिकों के अनियंत्रित आवागमन के लिए वातावरण बनाना।

वैश्वीकरण का इतिहास

- प्राचीन भारतीय साहित्य में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (अर्थात्–सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है) की अवधारणा मिलती है।
- प्राचीन सिल्क मार्ग ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मध्य एकीकरण का कार्य किया।
- मध्यकाल में भौगोलिक खोजों व वैज्ञानिक आविष्कारों ने वैश्वीकरण को गति दी।
- आधुनिक काल में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन्स (1920) की स्थापना वैश्वीकरण की दिशा में एक कदम था।
- 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ (GATTs) ने वैश्वीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO), विश्व बैंक (WB) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) वैश्वीकरण के वाहक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है।
- LPG सुधार – उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। (भारत–1991)

वैश्वीकरण के कारण

1. विश्व स्तर पर वैचारिक क्रांति (पुनर्जागरण और धर्म सुधार आन्दोलन)।
2. वैश्विक स्तर पर औद्योगिक क्रांति का विस्तार।
3. भौगोलिक खोजें व वैज्ञानिक अनुसंधान।

4. विश्व में पूंजीवादी विचारधारा का फैलाव।
5. विश्व युद्धों के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना (UNO, WTO, WB)।
6. 1991 में सोवियत संगठन (USSR) का विघटन तथा एकध्रुवीय विश्व का उदय।
7. मीडिया की भूमिका–सूचना व तकनीकि क्रांति के कारण सूचनाओं का असंयोजित प्रवाह।
8. लोकतंत्र, संविधान, मानववाद जैसे मूल्यों का विश्वस्तर पर विस्तार।
9. वैश्विक साझा समस्याएं– संरक्षणवाद, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन।

वैश्वीकरण के आयाम/प्रभाव

1. आर्थिक आयाम
2. सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम
3. राजनैतिक आयाम
4. तकनीकी आयाम

1. आर्थिक आयाम

आर्थिक आयाम का संदर्भ वस्तु और पूंजी के असंयोजित प्रवाह से है।

a. सकारात्मक परिणाम :–

i. इसने देशों की परस्पर निर्भरता बढ़ाई है।

ii. वैश्वीकरण ने संवृद्धि को बढ़ाया। संवृद्धि ने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया। जिससे लोगों का जीवन गरिमामय बना।

iii. अमीर राष्ट्र के निवेशकों ने गरीब राष्ट्र में निवेश किए। इससे ढाँचागत संरचना, तकनीकी विकास और रोजगार को प्रोत्साहन दिया।

b. नकारात्मक परिणाम :–

i. वैश्वीकरण धन के संकेन्द्रण को बढ़ावा देता है।

ii. वैश्वीकरण के कारण स्वदेशी कंपनियाँ पिछड़ती जा रही है इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है।

iii. वैश्वीकरण ने श्रम के मशीनीकरण को बढ़ाया है। इससे रोजगार विहीन संवृद्धि बढ़ी हैं इस परिस्थिति ने शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी को बढ़ाया है।

2. सामाजिक–संस्कृति आयामः– इसमें संस्कृति, विचार, जीवनशैली का प्रवाह हुआ।

a. सकारात्मक प्रभाव :–

i. वैश्वीकरण ने नवीन संस्कृति में संपर्क बढ़ाया। इससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ी।

ii. वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किया।

iii. वैश्वीकरण ने समाज में स्वतंत्रता के मूल्य को प्रोत्साहन दिया। स्वतंत्रता ने मनुष्यों के अधिकारों को बढ़ाया।

b. नकारात्मक प्रभाव

i. वैश्वीकरण ने आर्थिक पुरूषार्थ को धर्म पुरूषार्थ पर हावी कर दिया है। इससे मानव आर्थिक मनुष्य बन गया है।

ii. वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकरूपता को प्रोत्साहन देता है।

iii. वैश्वीकरण सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करता है।

iv. वैश्वीकरण ने उपभोक्ता और व्यक्तिवाद जैसे नये मूल्यों को स्थापित किया हैं इसने समाज को कमजोर किया है।

v. वैश्वीकरण ने समाज की मौलिक संस्थाओं (जैसे परिवार) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

इससे :–

a. व्यक्ति पर नियंत्रण कमजोर हुआ है।

b. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति असुरक्षा बढ़ी है। जैसे –वृद्ध और बच्चे।

vi. सामाजिक मूल्य और नैतिकता का पतन हुआ है।

vii. वैश्वीकरण ने सामाजिक विचलन की दर को बढ़ाया है। जैसे – आत्महत्या, तलाक, मानसिक परेशानी, ड्रग्स का सेवन बढ़ना।

3. राजनैतिक आयाम :– इसमें राज्य की संस्थाओं और राजनीतिक मूल्यों का असंयोजित प्रवाह होता है।

a. सकारात्मक प्रभाव :–

i. वैश्वीकरण ने विश्व के देशों के मध्य अतः निर्भरता को बढ़ाया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा है। (अनुच्छेद 51)

ii. वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग को बढ़ाया है।

iii. वैश्वीकरण ने शासन को सुशासन में रूपांतरित किया है।

iv. वैश्वीकरण ने वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को जन्म दिया और नागरिकों को सशक्त किया।

b. नकारात्मक प्रभाव :–

i. विश्व बैंक जैसी संस्थाएं नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इन संस्थाओं पर विकसित देशों का नियंत्रण है।

ii. वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

iii. वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर किया है।

4. वैश्वीकरण और तकनीकी विकास :–

a. सकारात्मक प्रभाव

i. वैश्वीकरण ने तकनीकी विकास के कारण आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। आर्थिक क्रांति ने उत्पादन के तौर–तरीकों को बदला। इससे संवृद्धि को बढ़ावा मिला।

ii. तकनीकी जुड़ाव ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया क्योंकि इसने नागरिकों की जागरूकता को बढ़ाया।

iii. वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमताओं को बढ़ाया है–

- सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ी हैं (ई–गवर्नेंस)
- राज्य को सुरक्षित करने की क्षमता बढ़ी है। (थल, जल और आकाश पर)

b. नकारात्मक प्रभाव :–

i. वैश्वीकरण ने तकनीकी उपनिवेशवाद को बढ़ाया है।

ii. वैश्वीकरण ने साइबर असुरक्षा और साइबर आतंकवाद को बढ़ाया है।

iii. वैश्वीकरण ने डिजीटल डिवाइड (विकसित– विकासशील) को बढ़ाया है।

iv. वैश्वीकरण ने पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाया है।

उदा. – जलवायु परिवर्तन, ओजोन विघटन, प्रदूषण

भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव

- भारतीय सन्दर्भ में व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभाव प्रतिबिंबित होते हैं।
- भारतीय संस्कृति पर प्रभाव

ग्लोकलाइजेशन/ भूस्थानीकरण :– इससे तात्पर्य वैश्विक और स्थानीय के मिश्रण से हैं।

उदाहरण – भांगडा पॉप, इंडी पॉप, नवरात्रों में मैकडानल्डस द्वारा शाकाहारी उत्पाद बेचना।

ग्रोबलाइजेशन इससे तात्पर्य ऐसे बड़े एवं महत्वाकांक्षी संगठनों या देशों के क्रियाकलापों से हैं जों वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव और लाभ में वृद्धि के लिए स्वयं को स्थानीय स्तर पर थोपने का प्रयास करते हैं।

1. भारत में वैश्विक परिधानों का चलन बढ़ा है।
2. अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।
3. त्योहार– क्रिसमस, वैलेंटाइन्स डे, फ्रेंडशिप डे के चलन में वृद्धि हुई है।
4. विवाह के महत्व में कमी, तलाक में वृद्धि, लिव इन रिलेशनशिप में वृद्धि देखने को मिली है।
5. हालीवुड फिल्मों के प्रति आकर्षण में बढ़ोतरी।
6. पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसे भोज्य पदार्थों का सेवन बढ़ा है।
7. भारतीय संस्कृति का भी विश्व स्तर पर प्रसार हुआ है।
8. इण्डो–वेस्टर्न परिधानों की नई श्रेणी विकसित हुई है।
9. दिवाली, होली जैसे त्योहार अब विश्व स्तर पर मनाए जा रहे हैं।
10. योग, आयुर्वेद दवाओं का विश्व स्तर पर बढ़ता उपयोग।

महिलाओं पर प्रभाव :–

सकारात्मक

1. महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतकों में वृद्धि हुई है।
2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
3. आर्थिक अवसरों के कारण आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास में वृद्धि।
4. नारीवादी आन्दोलनों का विस्तार हुआ है।
5. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी।
6. नगरीकरण के कारण महिला स्वतंत्रता में वृद्धि।
7. दृष्टिकोण परिवर्तन के कारण– सिंगल मदर, लिव इन रिलेशनशिप, गर्भनिरोधक के उपयोग के प्रति समाज में स्वीकृति बढ़ी है।

नकारात्मक :–

1. महिलाओं पर घरेलु व बाहर के कार्य का दोहरा बोझ पड़ रहा है।
2. पुरूषों की तुलना में कम वेतन।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण।
4. सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधों में वृद्धि।
5. उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण महिलाओं का वस्तुकरण।

वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव :–

सकारात्मक

1. युवाओं में तकनीकी शिक्षा अर्जन का आकर्षण बढ़ा है।
2. विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का चलन बढ़ा है।
3. विदेशों में जाकर रोजगार की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
4. तकनीकि उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि।
5. फैशन के वैश्विक आयामों को बढ़ावा मिलना।
6. शहरीकरण में वृद्धि।
7. एकल परिवारों में वृद्धि।

नकारात्मक :–

1. उपभोक्तावादी संस्कृति का युवाओं में चलन बढ़ा है।
2. संयुक्त परिवार का विघटन।
3. ऑनलाइन गेमिंग की आदतों में वृद्धि।

4. बेरोजगारी में वृद्धि।
5. मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि।

समाज पर प्रभाव –भारतीय परिवार

परम्परागत रूप से, भारतीय समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार रहा है।

सकारात्मक :–

1. रूढ़ीवादिता के स्थान पर वैज्ञानिक मूल्यों का विकास हुआ है।
2. शहरीकरण में वृद्धि।
3. परम्परागत व्यवसायों के अलावा अन्य व्यवसायों का चलन बढ़ा है।
4. एकल परिवारों का चलन।
5. सामाजिक गतिशीलता–अन्तरजातीय विवाहों में वृद्धि।
6. निर्णयन में महिलाओं की भागीदारी।
7. जीवन साथी के चुनाव में युवाओं को स्वतन्त्रता।

नकारात्मक :–

1. संयुक्त परिवारों का विघटन।
2. बुजुर्गों की देखभाल में कमी।
3. दो पीढ़ियों के मध्य टकराव बढ़ा है।
4. सामाजिक तनाव में वृद्धि ।
5. व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि ।
6. प्राचीन परम्पराओं का विघटन देखने को मिला है।

जाति व्यवस्था पर प्रभाव

1. आर्थिक अवसर, शिक्षा, उदार विचारों के कारण जाति व्यवस्था कमजोर हुई है।
2. जातिगत आधार पर व्यवसायों का चलन कम हुआ है।
3. अस्पृश्यता में कमी आई है।
4. अन्तरजातीय विवाहों में वृद्धि हुई है।
5. जातिव्यवस्था कमजोर हुई हैं, लेकिन जातिवाद बढ़ा है।

कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव

1. परम्परागत निर्वाह आधारित कृषि के स्थान पर व्यावसायिक कृषि का चलन बढ़ा है।
2. नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि ।
3. रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि।

4. कृषि में तकनीकि उपकरणों का प्रयोग बढ़ा है।
5. अनुबंध कृषि तथा संविदा कृषि की प्रवृत्ति में वृद्धि
6. अधिक उत्पादकता युक्त आनुवांशिक फसलों (GM) के उत्पादन में वृद्धि।
7. ड्रिप सिंचाई जैसी नवीन जल संरक्षक तकनीकों में वृद्धि।
8. कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि ।
9. कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि ।
10. कृषि का महिलाकरण।

वैश्वीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव

- इस प्रकृति में समस्त मानवों की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन लालच पूर्ति के लिए नहीं—गांधीजी।

नकारात्मक :—

1. उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण पर्यावरणीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन बढ़ा है।
2. जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई है।
3. विकास के नाम पर वनों की कटाई में वृद्धि।
4. वन्यजीव व जन्तुओं की प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा बढ़ा है।
5. महासागरीय अपशिष्टों में वृद्धि।
6. शहरों के रूप में कंक्रीट के जंगलों का विस्तार हुआ है।

सकारात्मकः—

1. UNO के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास।
2. सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की अवधारणा को अपनाना।
3. UNEP, IUCN, WWF, अन्तर्राष्ट्रीय सोलर अलांयस जैसे समूहों का विकास।
4. नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास पर जोर।

निष्कर्ष :—

- वैश्वीकरण पूरी तरह से न तो वरदान है तथा न ही अभिशाप है। हम वैश्वीकरण से अलग नहीं हो सकते अतः हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम' के मूल्यों को बढ़ावा देना होगा क्योंकि यह दुनिया को पृथक पहचान के साथ एकजुट करता है।

16. पंथनिरपेक्षता

- पंथनिरपेक्षता एक विचारधारा है जो तर्कसंगतता, वैज्ञानिक स्वभाव और लोकतांत्रिक मूल्यों (समानता, स्वतंत्रता और सहिष्णुता) पर आधारित है।
- पंथनिरपेक्षता में धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। यह जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करता हैं।

पंथनिरपेक्षता के मूल तत्व

- वैज्ञानिक और तर्कसंगत स्वभाव
- धार्मिक समानता
- धार्मिक स्वतंत्रता
- धार्मिक तटस्थता एवं सर्व धर्म संभाव
- सहिष्णुता

पंथनिरपेक्षीकरण

- पंथनिरपेक्षीकरण एक प्रक्रिया है, जहां धर्म के अवैज्ञानिक प्रभावों को समाप्त कर दिया जाता हैं।
- समाज और संस्कृति के क्षेत्रों से धार्मिक संस्थानों और प्रतीकों के प्रभुत्व को हटाना ही पंथनिरपेक्षीकरण है
- पंथनिरपेक्षता एक लक्ष्य है और पंथनिरपेक्षीकरण उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता के कारक

- सामाजिक और धार्मिक आंदोलन– इन आंदोलनों ने समानता, मानवता एवं मानव अधिकारों को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगतता का आधार लिया और धार्मिक बुराइयों का विरोध किया। इससे जनता की रुचि स्वतंत्रता और तर्कसंगत विचारों के प्रति विकसित हुई।
- पश्चिमीकरण– पश्चिमीकरण के प्रभाव से आम आदमी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। अलौकिक सत्ता के प्रति उनका विश्वास कम हो गया है और सार्वभौमिकता के प्रति विश्वास समाप्त हो गया है। पश्चिमीकरण से सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के कई हिस्से विशेष रूप से धर्म, कला, साहित्य और सामाजिक जीवन प्रभावित हुए हैं।
- धार्मिक संगठनों का अभाव श्रीनिवास का मानना था कि कोई हिंदू धर्म का कोई एक केंद्रीय सार्वभौमिक संगठन नहीं है जो धर्म के आधार पर सभी सदस्यों को एक ही मंच पर समान रूप से नियंत्रित और नियंत्रित कर सके। इसलिए बाहरी ताकतों के विचारों का प्रभाव तेजी से बढ़ा।
- शहरीकरण श्रीनिवास के अनुसार, गांवों की तुलना में शहरों में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। क्योंकि गांवों की तुलना में शहरों में वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच अधिक प्रभावी है।
- परिवहन और संचार के साधनों की प्रगति–परिवहन और संचार के साधनों ने दूर–दराज के लोगों को लोगों के करीब ला दिया है। पूरे भारत में बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के विचारों का संचार किया गया। धर्म, जाति और

राज्य के आधार पर विभाजित लोग करीब आ गए। इस निकटता ने नए विचारों को फैलाया और बढ़ाया जिससे धर्मनिरपेक्षता मजबूत हुई।

- मध्यम वर्ग का उदय–विकास व्यापार और वाणिज्य और औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस मध्यम वर्ग ने अपने अस्तित्व की स्थापना के लिए पारंपरिक विचारधाराओं का विरोध किया और इसके मूल में धार्मिक आस्था थी। वे ऐसी व्यवस्था के प्रति सचेत थे जो तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित हो।

भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव

एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक 'सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया' में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अनेक परिवर्तनों की चर्चा की है।

- धर्मनिरपेक्षता ने सामाजिक विचारों को फिर से समझाया है। तर्कसंगत ज्ञान का महत्व बढ़ा। तर्क के आधार पर धार्मिक व्याख्याओं का मूल्यांकन होने लगा।
- धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ने पवित्रता और प्रदूषण की धारणा को बदल दिया। धन, शक्ति और अधिकार प्राप्त करने की उम्मीदें मजबूत हुईं जिसने जातिगत भेदभाव को कमजोर कर दिया
- धर्मनिरपेक्षता ने व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता को विस्तृत किया।
- लोक विश्वास अलौकिक सत्ता से सार्वभौमिकता की ओर विकसित हुआ। इसका मतलब यह नहीं था कि भक्ति और आस्था की भावनाएं पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। अब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इंसान से होता हुआ बन गया।
- तार्किक चेतना विकसित हुई और धार्मिक दान सीमित हुआ। यही कारण था कि लोगों ने शिक्षण संस्थानों, आश्रमों, अस्पतालों और समाज सेवा संगठनों को अधिक से अधिक दान देना शुरू कर दिया।
- धर्मनिरपेक्षता के परिणाम से देश की ग्रामीण व्यवस्था भी प्रभावित हुई। प्रधान वर्ग को पंच मानने की सदियों पुरानी परंपरा कमजोर हो गई। श्रीनिवास ने कहा कि ग्रामीण समुदायों में राजनीतिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।

व्यवहार के रूप में धर्मनिरपेक्षता :–

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता
- पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता

भारत में धर्मनिरपेक्षता :–

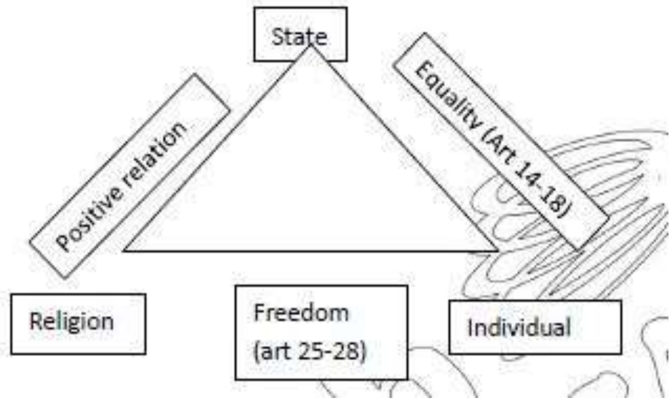

राज्य, धर्म और नागरिक के बीच संबंध

- राज्य और धर्म के बीच संबंध – संबंध राज्य और धर्म सकारात्मक रहेगा। यदि राज्य को धर्म से बाहर रखा गया, तो इसका मतलब है कि राज्य अपने कर्तव्यों से अलग हो गया है।
- राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध – राज्य सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा।
- धर्म और व्यक्ति के बीच संबंध – यह स्वतंत्रता पर आधारित है। व्यक्ति किसी भी धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र है।

पश्चिमी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता :

पश्चिम में मनुष्य का जीवन दो भागों में बँटा हुआ है

- भौतिक जीवन
- आध्यात्मिक जीवन

पश्चिम में मान्यता है कि मनुष्य का जीवन गरिमामय होना चाहिए इसीलिए मनुष्य को अपने भौतिक जीवन में सुधार करना चाहिए और और मनुष्य का दूसरा जीवन आध्यात्मिक जीवन है, जो धर्म से जुड़ा है।

<u>**राज्य, धर्म और नागरिक के बीच संबंध,**</u>

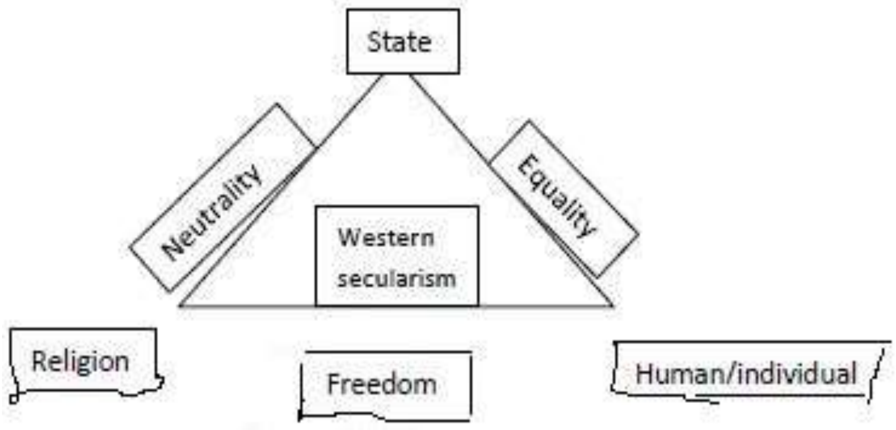

- राज्य और धर्म के बीच संबंध तटस्थ संबंध होंगे ।न तो धर्म को राज्य पर मार्गदर्शन, नियंत्रण और विनियमन करना चाहिए और न ही राज्य को धर्म का मार्गदर्शन, नियंत्रण और विनियमन करना चाहिए। राज्य मानव के भौतिक जीवन में सुधार करेगा जबकि धर्म का संबंध मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से है।
- राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध – राज्य सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा।
- धर्म और व्यक्ति के बीच संबंध – यह स्वतंत्रता पर आधारित है। व्यक्ति किसी भी धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र है।

भारत और पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता अलग क्यों है

- पश्चिम में धर्म विश्वास है, लेकिन भारत में धर्म विश्वास और कर्तव्य दोनों है।

- पश्चिम में धर्म मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है, जबकि भारत में धर्म आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों से जुड़ा है।
- पश्चिमी समाज एक समरूप समाज है, जबकि भारतीय समाज एक विषम समाज है (melting pot vs salad bowl)
- पश्चिम में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की कोई अवधारणा नहीं है लेकिन भारत में बहुत से धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।
- पश्चिम में, धर्मनिरपेक्षता पुनर्जागरण, ज्ञान और धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक परिणाम है जहां धार्मिक बुराई जीवन से समाप्त हो गई है, लेकिन क्या भारत में धर्म से जुड़ी कई सामाजिक बुराईयां हैं उदाहरण के लिए: – बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है।

पश्चिम की पंथनिरपेक्षता व भारत की पंथ निरपेक्षता में अंतर

पश्चिम		**भारत**	
1.	धर्म और राज्य के बीच महान विभाजक रेखा पाई जाती है एवं धर्म और राज्य अपने–अपने क्षेत्र में पृथक है।	1.	ना ही कानून और ना ही व्यवहार में धर्म व राज्य के बीच महान विभाजक रेखा पाई जाती है।
2.	ना ही धर्म ना ही राज्य एक–दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा।	2.	भारत में राज्य और धर्म कानूनी दायरे में रहकर एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते है।
3.	राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा चलाए जा रहे है शिक्षण संस्थाओं को काई भी आर्थिक मदद व समर्थन नहीं देगा।	3.	संविधान में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने व चलाने का अधिकार देता है। जो राज्य से भी समर्थन प्राप्त कर सकते है।
4.	राज्य धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करेगें जब तक धर्म नियम तहत कार्य कर रहे है।	4.	धर्म, राज्य, नैतिक, लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
5.	पश्चिम में राज्य किसी भी धार्मिक विभाग को स्थापित नहीं कर सकता है।	5.	भारत में राज्य ने कई धार्मिक विभाग को स्थापित किया है।

क्या भारत धर्मनिरपेक्ष समाज है।

- इतिहास – इतिहास में भारत धर्मनिरपेक्ष था।
- संविधान – संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है।
- वर्तमान में – धर्मनिरपेक्षता के सामने कुछ प्रमुख मुद्दे हैं।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक ऐतिहासिक विरासत है। धर्मनिरपेक्ष परंपराएं भारत के इतिहास में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं।

- **भारत अनेक धर्मों का जन्म स्थान है**।सनातन धर्म के साथ, बौद्ध और जैन धर्म महाजनपद युग में उभरा। मध्यकालीन काल में, भारतीय मिट्टी ने सिख धर्म को जन्म दिया।

- भारत ने इतिहास में विभिन्न धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार किया**। भारत में बहुत से धार्मिक और सांस्कृतिक लोग बाहर से आए (इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि) और वे भारतीय बन गए।**

यह भारतीय समाज में शुरू से ही सहिष्णुता जैसे धर्मनिरपेक्षता मूल्यों को दर्शाता है।

धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान :–

धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में **42 वें संविधान संशोधन 1976** द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और मूल तत्व पहले से ही संविधान में निहित है। यह **मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों में दिखाई देता है।**

- **अनुच्छेद–14** :– यह कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद–15** :– धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद – 16** :– लोक सेवा में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद–25** :– धार्मिक स्वतंत्रता देना।
- **अनुच्छेद – 26** :– प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है।
- **अनुच्छेद – 44** :– समान नागरिक संहिता की बात करें। यह कानूनी तरीके से धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करेगा।
- **अनुच्छेद – 51क** :– भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की सद्भाव और भावना को बढ़ावा देना और हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है

<u>धर्मनिरपेक्षता को खतरा :–</u>

- राजनीति और धर्म के गठजोड़ ने धर्मनिरपेक्षता के मूल मूल्य को प्रभावित किया है।
  - धार्मिक पहचान के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण।
  - वैचारिक प्रचार और सांप्रदायिक – राजनीति ने धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित किया है।
- सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने के लिए खतरा हैं।
- हाल के वर्षों में हिंसा और सांप्रदायिक चेतना के रूप में आक्रामक हिंदू चरमपंथियों के उदय ने अल्पसंख्यकों में असुरक्षा बढ़ा दी है।
  - मॉब लिंचिंग
  - लव जिहाद
  - घर वापसी
- इस्लामी कट्टरवाद और पुनरुत्थानवाद के उदय ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक राज्य के सिद्धांतों को प्रभावित किया है
- यदि समाज कम शिक्षित है, कम तर्कसंगत है, तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और मूल्य समाज में गहरे नहीं होंगे।

- धर्म के बाजारीकरण ने भी धर्मनिरपेक्षता को भी प्रभावित किया है।

भारत को एक धर्मनिरपेक्ष समाज कैसे बनाया जा सकता है?

धर्मनिरपेक्ष समाज एक लक्ष्य है जिसके लिए हमें

- राजनीति का धर्मनिरपेक्षीकरण
- धार्मिक संस्थानों का धर्मनिरपेक्षीकरण।
- समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण
- शैक्षणिक संस्थानों का धर्मनिरपेक्षीकरण करना होगा

- हमें मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता के मूल तत्व को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
- हमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता के गहरे इतिहास के बारे में जागरूकता फैलानी होगी और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देनाहोगा यह भारत में धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना का प्रसार करेगा।
- गरीबों, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण करना होगा
- समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद–44) को जबरदस्ती नहीं बल्कि आम सहमति से लागू किया जाना चाहिए।

पहले हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना होगा तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। बी.आर. अम्बेड़कर।

- धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर?
- छद्म धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं?
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से कैसे और क्यों भिन्न है?
- धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या खतरा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज कैसे होगा?
- धर्मनिरपेक्षता के मूल तत्व क्या हैं?
- धर्मनिरपेक्षता धर्म को कैसे प्रभावित करती है?

17. Poverty (गरीबी)

- **गरीबी की गणना 2 प्रकार से की जाती है।**
  A. सापेक्ष गरीबी
  B. निरपेक्ष गरीबी

  सापेक्ष गरीबी – इसके तहत विभिन्न व्यक्तियों की आय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें असमानता को मापा जाता है।

Ex. A व्यक्ति → 100 Cr. B व्यक्ति → 1 Cr.

(A की तुलना में B गरीब है)

- सापेक्ष गरीबी में गरीबी आंकलन के मानदण्ड विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के चरण के साथ भिन्न–भिन्न होते हैं।
- विकसित देशों के लिए मानदण्ड अलग है और विकासशील देशों के लिए मानदण्ड अलग है।
- इसके तहत जनता के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण को देखा जाता है। अर्थात् आर्थिक असमानता की गणना की जाती है।
- आय का वितरण के लिए लॉरेन्ज वक्र का प्रयोग किया जाता है।

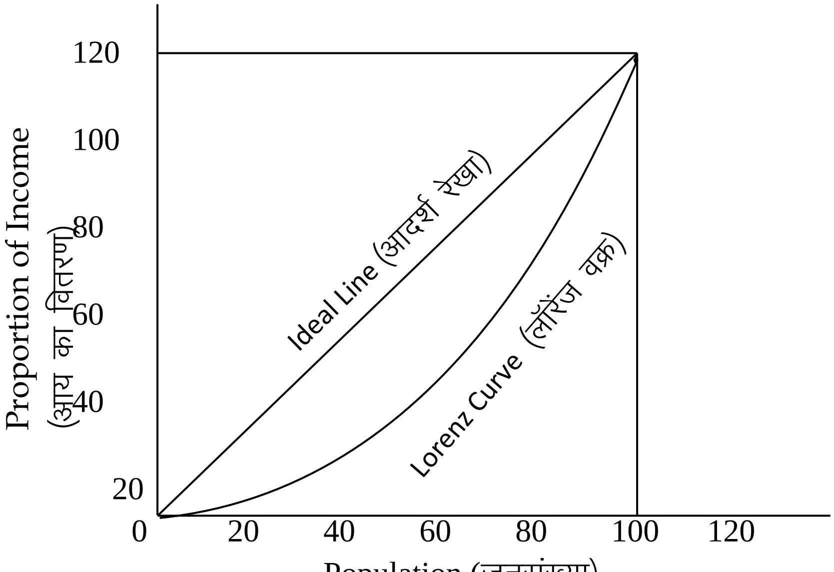

- आदर्श रेखा यह दर्शाती है कि आय का वितरण समान रूप से हुआ है अर्थात् उस देश में कोई असमानता नहीं है।
- वास्तविक रूप से ऐसा कोई देश नहीं होता है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के नजदीक या दूर हो सकता है।
- यदि लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के करीब है तब इसका अर्थ है– उस देश में असमानता कम है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा से दूर है तब इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

गिनी गुणांक–

- यह लॉरेन्ज वक्र का गणितीय रूप है।

- गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।
  0– पूर्ण समानता
  1 – पूर्ण असमानता

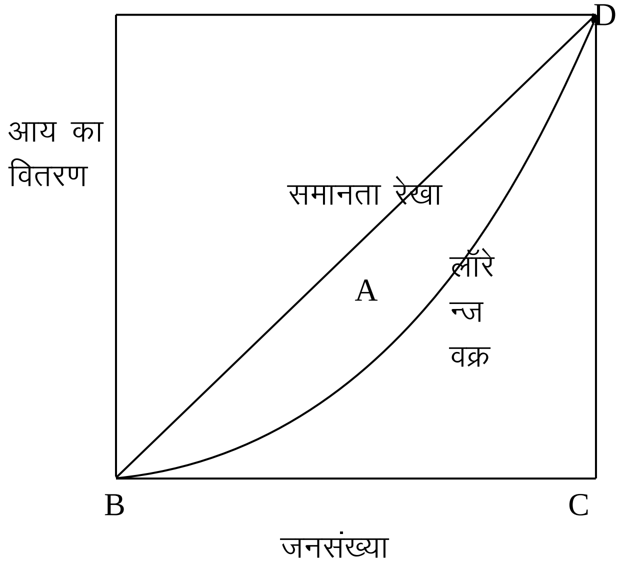

$$\text{Gini Cofficient} = \frac{Shaded\ \ Area\ A}{Total\ \ Area\ BCD}$$

- प्रत्येक देश के गिनी गुणांक का मान 0 - 1के बीच होगा यदि यह मान 0के करीब है तब इसका अर्थ है कि उस देश में असमानता कम है।
- यदि यह मान 1 के करीब हो तो इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

निरपेक्ष गरीबी–

- जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है यदि कोई व्यक्ति इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तब उस व्यक्ति को निरपेक्ष रूप से गरीब माना जाता है।
- बुनियादी आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है।
- जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा के नीचे है उसे BPL (Below Poverty Line) कहा है जो व्यक्ति इस रेखा से ऊपर है तो उसे APL (Above Poverty Line) कहा जाता है।
- गरीबी की गणना व्यक्ति के आधार पर ना करके परिवार के आधार पर की जाती है क्योंकि बहुत सी बुनियादी आवश्यकता ऐसी होती है जो कि पूरे परिवार के बीच साझा करती है।
  उदा.– मकान
- गरीबी की गणना के लिए उपयोग पर किये गये खर्च को देखा जाता है। आय को नहीं।
- परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं।
- भारत में गरीबी की गणना NSO के द्वारा की जाती है।
- गरीबी रेखा का निर्धारण पूर्व में योजना आयोग के द्वारा किया जाता था और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
- गरीबी की गणना की विधि को 'सिर गिनने की विधि'(Head Count Method) कहा जाता है।

- वैश्विक स्तर पर World Bank, Asian Development Bank and United Nation के द्वारा भी गरीबी की गणना की जाती है।
- विश्व बैंक की गरीबी रेखा – $ 2.15 per day
- United Nation – Multi Dimensional poverty Index
  (बहुआयामी गरीबी सूचकांक)
- भारत में गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोग का प्रयोग किया जाता है।
  शहर – 2100 कैलोरी
  ग्रामीण – 2400 कैलोरी
- गरीबी की गणना करने के लिए 3मुख्य विधियों का प्रयोग करते हैं।
  1. URP (Uniform Reference Period)/(Uniform Recall Period)
     - इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 30 दिन में खाद्य वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया।
  2. **MRP (Mixed Reference Period)/(Mixed Recall Period)**
     - इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 365 दिनों में कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ वस्तुएँ (T.V. फ्रिज) आदि पर कुल कितना व्यय किया।
  3. **MMRP (Modified MRP)**

भारत में गरीबी की गणना–

- भारत में पहली बार गरीबी की गणना दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय आयोजना समिति का गठन किया गया।
- 1944 में पूँजीपतियों द्वारा BOMBAY PLAN बनाया गया। जिसके अनुसार गरीबी रेखा रु. 75 प्रतिव्यक्ति/वर्ष इसे 'टाटा बिड़ला प्लान' भी कहा जाता है।

स्वतंत्रता के बाद गणनाएँ–

- 1962 में योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया।
- **V.M.दांडेकर और रथ समिति**–1971
  पहली बार कैलोरी खपत का प्रयोग गरीबी मापन के लिए किया गया।
  2250 कैलोरी/व्यक्ति/ दिन
- **Y.K. अलघ समिति** –1979
  कैलोरी के साथ–साथ पोषण आवश्यकता पर बल
  ग्रामीण – 2400 कैलोरी/ व्यक्ति/दिन
  शहरी– 2100 कैलोरी/ व्यक्ति/दिन
- **D.T. लकड़ावाला समिति**–1993 इसका मुख्य उद्देष्य था – गरीबी आंकलन की विधि की समीक्षा करना।
  इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि को स्वीकार किया।

- **सुरेश तेंदुलकर समिति –2005(2009 में अपनी रिपोर्ट दी)**
  इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि की आलोचना की।
  इनके अनुसार URP की जगह MRP का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रमुख अनुशंसाएँ–

1. कैलोरी की खपत के साथ–साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे– दूध, चावल, सब्जियाँ, खाद्य तेल, चीनी, नमक, नशीले पदार्थ। सूखे मावे, कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन।
2. ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान गरीबी रेखा टोकरी (PLB) का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) आधारित अनुमान के बजाय समान संदर्भ अवधि (URP) आधारित अनुमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

   ग्रामीण गरीबी रेखा (2011 – 12) – 4080 रु. प्रति परिवार/माह

   शहरी गरीबी रेखा (2011 - 12) – 5000 रु. प्रति परिवार/माह
4. गरीबी का प्रतिशत

   2004 – 05 – 37.2%

   2011 – 12 – 21.9%

- **रंगराजन समिति –**2012
  इनके द्वारा Modified MRP का प्रयोग किया गया है।
  गरीबी रेखा–
  - शहरी क्षेत्र – 7035रु. परिवार/माह
  - ग्रामीण क्षेत्र – 4860 रु. परिवार/माह

  गरीबी प्रतिशत–

  2009 – 10 –37%
  2011 – 12 –29.5%

- वैश्विक संस्थानों के द्वारा गरीबी का आंकलन किया गया।
  जैसे–IMF (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) –2019 में गरीबों का प्रतिशत = 0.8%
  World Bank (2019) = 10.2%

नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक–

- पहली बार 2021 में जारी किया गया।
- गरीबी को मापने के लिए 3 आयामों का प्रयोग किया जिन्हें 12 संकेतकों में बाँटा गया है।

आयाम (Dimension)- संकेतक (Indicator)

स्वास्थ्य (1/3)
→ पोषण
→ बाल एवं किशोर मृत्यु दर
→ जन्म के समय स्वास्थ्य सुविधा
(मातृत्व स्वास्थ्य) (UN के सूचकांक में शामिल नहीं)

शिक्षा(1/3)
- → शिक्षा के वर्ष
- → स्कूल में उपस्थिति

जीवनस्तर(2/3)
- → भोजन पकाने के लिए ईंधन (LPG)
- → स्वच्छता
- → पेयजल
- → विद्युत
- → पक्का घर
- → परिसम्पतियाँ (T.V. फ्रिज)
- → Bank Account(UN के सूचकांक में शामिल नहीं)

MPI रिपोर्ट 2023के प्रमुख तथ्य–

- इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21का प्रयोग किया गया।
- भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में **14.96%** हो गई, (गिरावट –9.8%)
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी –19.28% तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी –5.27%
- Ist – केरल –0.55%
- अंतिम – बिहार –33.76% (सर्वाधिक कमी)
- 10th – राजस्थान –15.31% (कमी– 13.5%)

गरीबी का निवारण–

भारत में गरीबी निवारण/उन्मूलन के लिए दो मुख्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं।

1. रिसाव सिद्धान्त (Trickle down Theory)

- इस सिद्धान्त के समर्थक – डॉ. जगदीश भगवती, अरविन्द पनगड़िया
  पुस्तक –Why Growth Matters
- इनके अनुसार सरकार को भौतिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए जिससे कि निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा सके।
- निवेश के बढ़ने से सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है।
- अल्पकाल में इस विधि से असमानता बढ़ती है परन्तु दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है।

2. प्रत्यक्ष निवारण–

- समर्थक – अमर्त्य सेन, ज्यां द्रेज
- पुस्तक –An Uncertain glory : India and its Contradictions
- इनके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता देनी चाहिए।
- इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
  जैसे– रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना
- सरकार को सामाजिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए।
  जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल
- वर्तमान में उपर्युक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है।

18. बेरोजगारी

इंडेक्स/Index

1. बेरोजगारी का अर्थ ?

2. बेरोजगारी का स्वरूप ?

3. बेरोजगारी के प्रकार ?

4. बेरोजगारी के कारण क्या है ?

5. बेरोजगारी के प्रभाव ?

6. बेरोजगारी का मापन कैसे होता है

7. बेरोजगारी को दूर करने हेतु सुझाव तथा सरकार की नीतियाँ ।

बेरोजगारी का अर्थ–

- वह अवस्था जिसमें श्रमबल का एक भाग काम करने की इच्छा तथा योग्यता तो रखता है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता, बेरोजगारी कहलाती है।
- श्रमबल – 15 से 65 का प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा व योग्यता रखता हो, श्रमबल कहलाता है।
- कार्यबल– श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका हो, कार्यबल कहलाता है।

बेरोजगारी के स्वरूप

1. **स्वैच्छिक बेरोजगारी**– यदि श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति नियत मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो।
   - ऐसा तब होता है, जब व्यक्ति को क्षमता अनुसार कार्य या वेतन नहीं मिलता है। यह शिक्षित वर्ग से संबंधित होती है, अतः इसका संबंध गरीबी से नहीं होता है।
2. **अनैच्छिक बेरोजगारी–** श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति यदि नियत मजदूरी से कम पर भी कार्य करने को तैयार हैं, परंतु इसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिले,तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी गरीबी से प्रत्यक्ष संबंधित होती है।
   - इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है तथा यह विकसित देशों तथा विकासशील देशों में अलग–अलग कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे
   - विकसित देशों में मंदी के कारण होती है।
   - विकासशील देशों में यह समस्या जनसंख्या वृद्धि से से श्रमबल का आकार बढ़ने से होती है।
   - तो वही दूसरा कारण आधारभूत बाधाएं होती है। जिसके कारण उपलब्ध संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता है। इससे अवसर कम उत्पन्न होते है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की दर बढ़ती है।

बेरोजगारी के प्रभाव–

आर्थिक प्रभाव –

1. मानव संसाधन का अपव्यय होता हैं– किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती उपलब्ध संसाधनों का कुशलता उपयोग सुनिश्चित करना है और बढ़ती बेरोजगारी यह प्रदर्शित करती है कि हम उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।

2. किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी बढ़ती है, तो इससे भरण–पोषण की लागत भी बढ़ती है और इससे हमारी बचत व निवेश क्रमशः घटते हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर और भी कम हो जाते हैं और यह बेरोजगारी का दुष्चक्र अनवरत चलता रहता है, जो बेरोजगारी को बढ़ाता है।
3. गरीबी की दर तीव्रता से बढ़ती है।

सामाजिक प्रभाव–

1. पलायन का संकट बढ़ता है।
2. बेरोजगारी से व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है तथा इससे युवाओं में तनाव व कुंठा उत्पन्न होती है और वे आतंकवाद व नक्सलवाद जैसी समस्याओं के फलने फूलने को अवसर प्रदान करते हैं जिससे अपराधों में वृद्धि होती है।
3. इसी तरह बेरोजगार व्यक्ति अभावग्रस्तता व शक्तिहीनता के शिकार होते हैं। जिसके कारण हर जगह उनका शोषण होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी–

1. **प्रत्यक्ष बेरोजगारी–** यदि श्रमबल में आने वाले व्यक्ति को नियत मजदूरी से कम पर भी काम उपलब्ध नहीं हो, तो यह प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहलाती है।
   - मुख्यतः भूमिहीनों की समस्या है अतः इसका संबंध सामाजिक व्यवस्था व गरीबी से भी होता है।
2. **प्रच्छन्न बेरोजगारी–** इसके तहत श्रमबल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को रोजगार तो प्राप्त हो जाता है। परंतु उसके श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती हैं। ऐसा जरूरत से ज्यादा श्रमिकों के नियोजन से होता है।
   - यहां सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य यह है कि एक अतिरिक्त श्रमिक की उत्पादकता शून्य के बराबर हो
3. **मौसमी बेरोजगारी–** जब व्यक्तियों को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त हो तथा इसके पश्चात् वे बेरोजगार हो जाते हैंतो इसे मौसमी बेरोजगारी कहां जाता है।

   जैसे कृषि, कपड़ा उद्योग,ज्यूस इत्यादि के श्रमिक मौसमी बेरोजगारी के कारण समय विशेष में बेरोजगार हो जाते हैं।

बेरोजगारी का स्वरूप (Types)–

शहरी क्षेत्रों में–

1. **घर्षण जनित बेरोजगारी–** श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति, जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करता है, तो बीच के समय में जब वह बेरोजगार रहता है। इस बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नहीं है।
2. **चक्रीय बेरोजगारी–** अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन के कारण विशेषकर मंदी की परिस्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है।
3. **अल्प बेरोजगारी–** जब श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर कार्य कर रहा हो, परंतु उसे क्षमता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं हो तो इसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है।
4. **शिक्षित बेरोजगारी–**जब दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आर्थिक अवसरों की कमी या बेहतर रोजगार की तलाश में शिक्षित युवा बेरोजगार होता है, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं।
5. **संरचनात्मक बेरोजगारी–** अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।

6. विकास के साथ–साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। संरचना में परिवर्तन के साथ–साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है।
7. **तकनीकी बेरोजगारी–** उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नयी मशीनों से उत्पादन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है।

बेरोजगारी के कारण–

1. तीव्र जनसंख्या वृद्धि से अवसरों में कमी।
2. संसाधनों की कमी से रोजगार सृजन की दर कम होना।
3. आधारभूत ढांचा कमजोर होने के कारण उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए अर्थात् औद्योगिकीकरण का अभाव विशेषकर MSMEs का विकास ना होना।
4. कृषि का पिछड़ापन व मानसून की विसंगति ।
5. आर्थिक संवृद्धि का धीमा होना।
6. रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि होना।
7. वैश्वीकरण के कारण भारत में मशीनीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का दौर आया, जिससे रोजगार सृजन में गिरावट आयी तथा रोजगार के समक्ष नई चुनौतियाँ (कौशल की मांग, तकनीकी बेरोजगारी) खड़ी कर दी। इससे भारत में आर्थिक वृद्धि तो तेजी से बढ़ रही है, किंतु रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए रोजगार विहीन वृद्धि की अवधारणा उत्पन्न हो रही है।
8. L.P.G. के कारण सार्वजनिक सेवाओं में कमी के कारण सरकारी नौकरियों में कमी आने लगी।
9. शिक्षा का स्तर अत्यन्त कमजोर है, सभी लोगों को शिक्षित नहीं है।
10. शिक्षण संस्थानों में बाजार आधारित कौशल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देखी जाती है।
11. भारत में उद्यमिता की प्रवृत्ति अत्यधिक कमजोर है। इसलिए अधिकतर लोग जॉब सिकर (Job seeker / रोजगार की मांग करने वाला) की संख्या अधिक है, परंतु रोजगार प्रदान करने वालों (Job Givers) की संख्या बहुत कम है।

बेरोजगारी निवारण के उपाय–

1. उत्पादन में वृद्धि करके।
2. जनसंख्या नियंत्रित करके।
3. बचत को प्रोत्साहित करके।
4. MSMEs को बढ़ावा देकर।
5. स्वरोजगार को बढ़ावा देकर।
6. शैक्षणिक सुधार करके अर्थात् व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करके।
7. बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्षमता निर्माण (Skill development) पर बल दिया जाना चाहिए तथा उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देकर।
9. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देकर।

10. श्रम आधारित तकनीक को बढ़ावा देकर।

11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर।

12. निर्यात को बढ़ावा देकर।

भारत में बेरोजगारी का मापन–

भारत में बेरोजगारी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है। इसकी गणना तीन प्रकार से की जाती है।

- सामान्य स्थिति बेरोजगारी (Usual Status Unemployment)
- साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (Weekly Status Unemployment)
- दैनिक स्थिति बेरोजगारी (Daily Status Unemployment)

1. **सामान्य अवस्था बेरोजगारी**– उन लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर कौशल स्तर के अनुसार काम नहीं मिला।
    - इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से 183 दिन या इससे अधिक दिन रोजगार में नियोजित है, तो उसे श्रमबल में माना जाता है। और यदि वह 183 दिनों से रोजगाररत नहीं है तो उसे श्रमबल से बाहर माना जाता है।
    - इस प्रकार यह बेरोजगारी दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है।
2. **साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी–** ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे सप्ताह कार्य नहीं मिला।
    - इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 7 दिनों में 1 घंटा भी काम प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो उसे बेरोजगार मान लिया जाता है।
3. **दैनिक अवस्था बेरोजगारी**– उन लोगों की संख्या बताती है,जिन्हें किसी दिन 1 घंटे से अधिक एवं 4 घंटे से कम काम प्राप्त होता है, तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाएगा और 4 घंटे से अधिक काम करने पर वह व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है।
    - बेरोजगारी दर = बेरोजगारों की संख्या ÷ श्रमबल की संख्या × 100
    - कामगार जनसंख्या दर (Worker Population Rate) = रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ÷ जनसंख्या × 100
    - श्रमबल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate) = श्रमबल ÷ जनसंख्या ×100
    - बेरोजगारी के आंकड़े NSO द्वारा 'आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण' (Periodic Labour Force Survey & PLFS) में जारी किए जाते हैं।
    - इस सर्वेक्षण को एनएसओ जारी करता है।
    - इसे अप्रैल 2017 में शुरू किया गया।
    - 2022–23 के PLFS के अनुसार बेरोजगारी की दर 3.2% है।

बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम

1. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM&SYM)**
    - प्रारंभ– फरवरी 2019 में।
    - मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई।

- प्रकार– यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है।
- पात्रता– 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईट–भट्ठा मजदूर, चर्मकार,कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, हथकरघा मजदूर, ऑडियो–वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे, जिसकी मासिक आय ₹15000 से कम है।
- पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- प्रीमियम– इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि (आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच) का निवेश करना होगा।
- पेंशन– इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाताओं(नइेबतपइमत) को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमा न्यूनतम ₹3000 की निश्चित पेंशन मिलेगी।
- यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी/पति योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकती/सकता है।

2. **प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना (PM & KYMS)**
    - प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना की घोषणा बजट 2019–20 के अंतर्गत की गई।

      अर्हता– छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन योजना।
    - कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है और जिसका सालाना कारोबार डेढ़ करोड़ तक है। इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
    - इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं।

      पेंशन – योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिए जाएंगे।
    - प्रीमियम– इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि (आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच) का निवेश करना होगा।
    - यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है, जिसमें केंद्र सरकार लाभार्थी के खाते में एक समान राशि का योगदान करेगी।
    - इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम करेगी।

उस्ताद योजना

- शुरूआत–14 मई 2015 को।
- उद्देश्य– अल्पसंख्यक समुदाय में पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इन समुदाय के लोगों का क्षमता विकास व प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उस्ताद योजना प्रारंभ की गई।

स्किल इंडिया

- शुरूआत–15 जुलाई 2015 को।
- उद्देश्य– भारत में कामगारों का कौशल विकास बढ़ाने हेतु तथा भारत को क्षमता निर्माण का केंद्र बिंदु बनाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गयी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम–

- भारत सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम के तहत 5 योजनाएं आरंभ की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास व व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाना तथा श्रमिकों को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता को बढ़ावा देना है।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

- इसकी शुरूआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई थी। जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में पारित हो गया था।
- 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया।
- यह कानून ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
- यह कानून किसी वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को (वैसे सभी वयस्क सदस्यों को) जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, 100 दिनों के रोजगार (सूखा प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार) की गारंटी प्रदान करता है।
- इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होंगी।
- यह कानून रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू किया गया है।
- रोजगार पाने के लिए आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा। यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।
- रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध कराना होगा।
- यदि इससे अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध है, तो उसे परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा।
- इसके अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे बांधों, जोहड़ों, तालाबों की खुदाई, गांव में सड़क आदि के निर्माण, पेड़ पौधे लगाना जैसे काम किए जाते हैं।

मनरेगा से लाभ

- रोजगार में वृद्धि।
- महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन
- न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता
- रहन–सहन के स्तर में सुधार
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना–

- 1 जून 2020 को प्रारंभ।
- मंत्रालय– आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा प्रारंभ की गई।
- उद्देश्य– छोटे दुकानदारों और फेरी वालों अर्थात् रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं (Street Vendors) को आर्थिक रुप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई।
- इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारियों अथवा रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं (Street Vendors) को ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण (Working capital loan) प्रदान किया जाता है।
- इस पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है।
- इसके बदले किसी भी प्रकार की जमानत या कॉलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान –

- 20 जून 2020 को इसका शुभारंभ बिहार के तेलिहार गांव, खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
- इसका उद्देश्य उन गांव या क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सशक्त करना था, जहाँ ब्ट्पक्–19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में शहरों से वापस लौट चुके थे।
- यह अभियान राजस्थान(22जिले), बिहार(32), उत्तर प्रदेश(31), झारखंड(3), उड़ीसा (4) और मध्य प्रदेश (24) के कुल 116 जिलों में चलाया गया।
- इसके तहत 125 दिनों तक रोजगार संचालित किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

- यह योजना वर्ष 2016–17 के बजट में घोषित की गई थी।
- इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करके औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ में किए जाने वाले 12% अंशदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इसके तहत 15000 रुपये प्रति माह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister*s Employment Generation programme&PMEGP)–

- यह योजना 15 अगस्त, 2008 को शुरू हुई थी।
- देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई।
- इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की क्रेडिट/ऋण सीमा निर्धारित है।
- इसका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा होता है।

PM विश्वकर्मा योजना

- शुभारंभ– 17 सितंबर 2023
- घोषणा – 15 अगस्त 2023
- समयावधि– 5 (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक)
- कुल बजट– 13000 करोड रुपए ।
- मंत्रालय – सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय
- लाभार्थी– लोहार, सुनार, कुम्हार, बढई, मूर्तिकार, नाव बनाने वाले, मूर्तिकार, मोची, दर्जी, नायी जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे पारंपरिक कारीगर तथा शिल्पकार विश्वकर्मा शामिल है।
- इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल है।
- प्रकार– केंद्रीय योजना।
- लाभ– 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर एक लाख रुपये की पहली किस्त और दो लाख रुपए की दूसरी किस्त की ऋण सहायता।
- इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए ₹500 प्रतिदिन और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹1500 का अनुदान दिया जाएगा
- अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि है।

ओकुन का नियम (Okun's Law)

- यह किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध बताता हैं।
- इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है।
- ओकुन के नियम अनुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है, तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी।
- इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है, तो उस देश की जीडीपी में लगभग 3% की कमी होगी।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (CMIE)–

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी एक प्रमुख व्यावसायिक सूचना कंपनी है।
- इसकी स्थापना 1976 में एक स्वतंत्र थिंकटैंक के रूप में हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं।

19. साम्प्रदायिकता

- **अर्थ** – साम्प्रदायिकता से तात्पर्य अपने समुदाय के प्रति गहरे लगाव व अन्य समुदायों के प्रति घृणा भाव से है।
- साम्प्रदायिकता वह विचारधारा है जो धर्म, सम्प्रदाय, जाति, विश्वास, मूल्यों के आधार पर समाज के मध्य विभाजन को दर्शाती है।
- साम्प्रदायिकता सकारात्मक अर्थ में अपने समुदाय के प्रति लगाव बढ़ाती है जबकि नकारात्मक अर्थ में साम्प्रदायिक तनाव व हिंसा का कारण बनती है।
- साम्प्रदायिकता एक आधुनिक अवधारणा है यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का परिणाम है।
- प्राचीन भारत में अनेक धर्म, सम्प्रदाय होने के बावजूद जनसामान्य कभी धार्मिक प्रश्नों पर नहीं लड़ें।
- साम्प्रदायिकता समाज के बौद्धिक वर्ग की देन है।
- जनसाधारण केवल उसका वाहक होता है तथा उसके दुष्परिणामों को भुगतता है।
- इतिहासकार विपिन चन्द्र के अनुसार–साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण में एक बड़ी बाधा है।
- उन्होंने अपनी पुस्तक Communalism in Modern India में साम्प्रदायिकता के लिए तीन कारकों को उत्तरदायी बताया है–

  1. अपने पंथ, समुदाय या समूह को महत्व देना
  2. दूसरों के पंथ, समुदाय, समूह को अपने से पृथक मानना
  3. अपने हितों को दूसरो के धार्मिक हितों का विरोधी समझना

उदय के कारण

- अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति

1. इतिहास का पुनः लेखन – इतिहास को तीन खण्डों प्राचीन काल (हिन्दूकाल), मध्यकाल (ईस्लामिक काल), आधुनिक काल (ब्रिटिश काल) में धर्म के आधार पर बांटना
2. बंगाल विभाजन (1905)
3. पृथक निर्वाचन पद्वति (1909)
4. भारतीय समाज के अन्तर्विरोधों को साम्प्रदायिक स्वरूप दिया (जमीदार v/s किसान)
5. संयुक्त प्रान्त में उर्दू के स्थान पर देवनागरी लिपि व हिन्दी भाषा को लागू करना
6. रोजगार के अवसरों को प्रतिस्पर्धी बना दिया
7. साम्प्रदायिक पंचाट (1932)

हिन्दू साम्प्रदायिकता

1. आर्य समाज का शुद्धि आन्दोलन
2. राम राज्य की अवधारणा

3. तिलक द्वारा गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत
4. भारत माता की अवधारणा
5. ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना मध्यकालीन मुस्लिम शासकों से करना (औरंगजेब)
6. शिवाजी, राणा प्रताप को राष्ट्रीय नायकों के रूप में पेश करना

मुस्लिम साम्प्रदायिकता

1. मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा मन्दिरों को तोड़ना
2. गाय को काटकर जश्न मनाना
3. वहाबी आन्दोलन में दारूल हर्ब (काफिरों का देश) को दारूल इस्लाम में बदलने का नारा
4. तबलीग व तंजीम आन्दोलन
5. इस्लाम में आई कुरीतियों के लिए हिन्दुओं को जिम्मेदार ठहराना
6. सर सैय्यद अहमद खान द्वारा कांग्रेस को हिन्दुओं का संगठन बताकर आलोचना करना
7. जिन्ना की अलग राष्ट्र के लिए साम्प्रदायिक राजनीति
8. मुस्लिम लीग द्वारा पीरपुर समिति (1937) द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों की स्थिति का गलत विवरण।

अन्य कारण

1. साम्प्रदायिक दंगो का इतिहास
2. मनोवैज्ञानिक कारक– समुदायों के मध्य आपसी अविश्वास, भय, घृणा
3. आर्थिक कारण – असमान विकास, वर्ग विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी से उत्पन्न असुरक्षा
4. तुष्टिकरण की राजनीति/विभाजनकारी राजनीति राजनीतिक लाभ के लिए साम्प्रदायिकता फैलाना
5. मुस्लिम समुदाय का अलगाव और आर्थिक पिछड़ापन
6. प्रशासनिक विफलता– कमजोर कानून व्यवस्था
7. मीडिया की भूमिका– TRP बढ़ाने के लिए सनसनीखेज समाचार देना
8. सोशल मीडिया पर फेक न्यूज व हेट स्पीच की घटनाएं

भारत में साम्प्रदायिक दंगों का इतिहास

1. 1922–मोपला विद्रोह ने साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया
2. 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के साथ वृहद् स्तर पर दंगे भड़कना
3. भारत विभाजन के समय शुरू हुई साम्प्रदायिक हिंसा 1949 तक चलती रही।
4. 1961 – जबलपुर दंगों ने हिन्दू–मुस्लिम आर्थिक प्रतिस्पर्धा की ओर ध्यान दिलाया।
5. 1960 के दशक में पूर्वी भारत में राउरकेला (1964), जमशेदपुर (1965) और रांची (1967) में कई दंगे हुए।
6. सिख विरोधी दंगे (1984)– इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात बड़े पैमाने पर सिक्खों पर हमले हुए।

7. 1985 शाह बानो वाद के बाद हिंसा

8. 1989 – कश्मीरी हिन्दू पंडितों पर अत्याचार

9. 1992 – बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद बड़े स्तर पर दंगे।

10. गोधरा काण्ड (2002) – कार सेवकों को जिन्दा जलाने के बाद बड़े स्तर पर साम्प्रदायिक उन्माद फैला।

11. असम हिंसा (2012) – आजीविका, भूमि और राजनीतिक शक्ति के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बोडो और बंगाली समुदाय का संघर्ष हिन्दु–मुस्लिमों के मध्य का संघर्ष बन गया।

12. मुजफ्फरनगर दंगे (2013) – उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिन्दू–मुस्लिम दंगों के कारण 62 लोग मारे गए तथा 50000 विस्थापित हुए।

13. दिल्ली दंगे–2020 – CAA के विरोध में भड़के दंगे

14. मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएँ पिछले कुछ सालों में देखी गई है।

15. मणिपुर हिंसा 2023– कुकी ओर मैतेई समुदाय के बीच भीषण संघर्ष।

साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम

1. राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व
2. बड़े स्तर पर जान माल की हानि
3. समाज के आपसी द्वेष में वृद्धि
4. अल्पसंख्यक वर्ग के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।
5. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है।
6. आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
7. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होती है।
8. साम्प्रदायिकता धार्मिक कट्टरता व असहिष्णुता को बढ़ावा देती है।
9. राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
10. समाज का सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है।
11. असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है।
12. आतंकवाद, अलगाववाद में वृद्धि देखने को मिलती है।

साम्प्रदायिकता से निपटने के उपाय

गांधीजी और विनोबा भावे ने साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया ताकि दंगों के समय विभिन्न धर्मों के लोगों के मध्य एकता, विश्वास बहाली की जा सके।

- साम्प्रदायिकता की समस्या हल करने के लिए 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई।
- मलेशियाई मॉडल– मलेशियाई जातीय संबंध निगरानी प्रणाली (मेसरा) यह प्रणाली विभिन्न नस्ल के लोगों की जरूरतों और भावनाओं को समझने के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक (आवास, आय, शिक्षा) का प्रयोग करती है।

- हांगकांग मॉडल – रेस रिलेशन यूनिट (RRU) अल्पसंख्यकों की संस्कृति व नस्लीय भेदभाव के बारे में स्कूलों में चर्चा कर एकीकरण को बढ़ावा देना।
- गृह मंत्रालय के अन्तर्गत नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हॉर्मनी (NFCH) की सक्रियता से साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
- साम्प्रदायिक हिंसा (पीड़ितों की रोकथाम, नियंत्रण, पुनर्वास) विधेयक 2005 को अतिशीघ्र पारित करना चाहिए।
- साम्प्रदायिक दंगे रोकने हेतु प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना
- धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना
- सर्वधर्म सम्मेलनों का आयोजन समयबद्ध तरीके से किया जाए– साम्प्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार–प्रसार तथा विभिन्न सम्प्रदायों के त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाना।
- नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों के बारे में आमजन को जागरूक करना
- साम्प्रदायिक ताकतों और स्वार्थी राजनीतिक समूहों पर कठोर कार्रवाई करना
- सोशल मीडिया का युक्तिसंगत नियमन
- शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बढ़ावा देना
- महात्मा बुद्ध व गांधीजी की विरासत को आगे बढ़ाना।
- धारावाहिक, शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रेरित करना।
- जाँच एजेसियों द्वारा तकनीकि नवाचार का उपयोग कर अग्रसक्रिय तरीके से दंगों को भड़कने से रोकना।
- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना।
- आर्थिक असमानता, रोजगार असमानता को कम करना।